राजस्थान आवासन मण्डल

राजस्थान आवासन बोर्ड अधिनियम 1970 के तहत गठित राजकीय उपक्रम
(राजस्थान अधिनियम संख्या 4 सन् 1970)

प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन

वित्तीय वर्ष 2018–19 (दिसम्बर 2018 तक)

द्वारका ट्विन्स, मानसरोवर, जयपुर

अरावली एनक्लेव, मानसरोवर, जयपुर

गौमती अपार्टमेंट, प्रताप नगर, जयपुर

उद्यान अपार्टमेंट, चौपासनी योजना, जोधपुर

रत्नागिरी अपार्टमेंट, इन्दिरा गांधी नगर, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल

प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन

वित्तीय वर्ष 2018–19 (दिसम्बर 2018 तक)

विषय सूची

क्र.सं.	विषय		पृष्ठ संख्या
1	सामान्य	...	1
2.1	आवास निर्माण/आवंटन	...	1
2.2	वित्त प्रबन्धन	...	1
3	पंजीकरण प्रक्रिया	...	1
4	गुणवत्ता नियंत्रण	...	10
5	मण्डल की कॉलोनिओं में नागरिक सुविधाएँ	...	11
6	प्रचार प्रसार	...	11
7	राशि संग्रहण केन्द्र	...	11
8	समस्याओं का समयबद्ध निराकरण	...	14
9	कम्प्यूटरीकरण	...	14
10	भूमि अवाप्ति	...	15
11	भौतिक प्रगति	...	15
12	वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के ग्राफ	...	17
13	अभिनव प्रयोग एवं नवाचार	...	21
14	मण्डल की महत्त्वपूर्ण योजनाएँ	...	23
15	अफोर्डेबल हाउसिंग योजना–2009	...	30
16	राज्य सरकार द्वारा निर्देशित योजनाओं का विवरण	...	31
17	रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (RERA)	...	33

तालिकाएं

I.	दिसम्बर–2018 तक निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये गये शहर/कस्बों की सूची	...	34
II.a	शहरवार/आयवर्ग अनुसार आवासों का कार्य प्रारम्भ/पूर्ण की सूची	...	35
II.b	शहरवार/आयवर्ग अनुसार आवासों का आवंटन/कब्जे की सूची	...	37
III.a	नये आवास प्रारम्भ (आय वर्गानुसार/वर्षवार)	...	39
III.b	आवास पूर्ण किये गये (आय वर्गानुसार/वर्षवार)	...	40
III.c	आवासों का आवंटन (आय वर्गानुसार/वर्षवार)	...	41
III.d	आवासों का कब्जा देना (आय वर्गानुसार/वर्षवार)	...	42
IV.a	धारा 27 की अधिसूचना संबंधी भूमि अवाप्ति प्रकरण	...	43
IV.b	धारा 11(1) राज्य सरकार स्तर पर विचाराधीन भूमि अवाप्ति प्रकरण	...	43
IV.c	विशेषाधिकारी स्तर पर प्रक्रियाधीन भूमि अवाप्ति प्रकरण	...	43
V.	पुरस्कार	...	44
VI.	स्वीकृत–कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण	...	45-47
VII.	मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय की ई–मेल सूची	...	48
VIII.	जिलेवार आवासन मण्डल के नोडल अधिकारियों की सूची	...	52
IX.	प्रशासनिक ढांचा	...	55
X.	अध्यक्ष एवं आवासन आयुक्त की पदस्थापना सूची	...	56

राजस्थान आवासन मण्डल

प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन

वित्तीय वर्ष 2018–19

(माह दिसम्बर 2018 तक)

1. सामान्य

प्रदेश में बढ़ते औद्योगीकीकरण एवं शहरीकरण के कारण उत्पन्न हुई आवासीय समस्या के समाधान के उद्धेश्य से 24 फरवरी, 1970 को राजस्थान आवासन मण्डल की स्थापना की गई। राजस्थान आवासन मण्डल सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाओं से युक्त कॉलोनियॉ विकसित कर सभी वर्गों के लिए उचित कीमत पर आवास उपलब्ध कराने की दिशा में अपनी सक्रिय भूमिका निभाता रहा हैं। मण्डल द्वारा विकसित की गयी आवासीय योजनाओं में कुल निर्मित आवासों में से लगभग 60 प्रतिशत से अधिक आवास आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के पंजीकृत आवेदकों के लिए निर्मित किये जाते हैं।

2.1 आवास निर्माण / आवंटन

आवासन मण्डल ने स्थापना से लेकर दिसम्बर 2018 तक प्रदेश के 65 शहरों/कस्बों में विभिन्न वर्गों के लिए कुल 250310 आवासों/फ्लैटों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया। इनमें से 244982 आवास/फ्लैट पंजीकृत आवेदकों को आवंटित किये गये तथा 248378 आवास/फ्लैट पूर्ण किये जाकर 226494 आवासों/फ्लैटों का कब्जा संबधित आवंटियों को दिया जा चुका है। दिसम्बर 2018 तक राज्य के 12 शहर/कस्बों में विभिन्न आय वर्गों के 1932 आवासों का निमार्ण कार्य प्रगति पर है। मण्डल की स्थापना से दिसम्बर 2018 तक निर्माण कार्यो पर रू. 7295.04 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

2.2 वित्त प्रबन्धन

आवासन मण्डल वर्तमान में अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्त का प्रबंध स्वंय के स्त्रोत से करता है, वित का प्रबन्ध स्व–वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत आवंटियों से प्राप्त राशि, वाणिज्यिक एंव आवासीय सम्पत्तियों के समयबद्ध निस्तारण द्वारा किया जाता है। पिछले वर्षों में मण्डल द्वारा वित्तिय संस्थाओं से प्राप्त ऋणभार को कम किया गया एवं वर्तमान में कम ब्याज दर पर प्राप्त केवल नेशनल हाऊसिंग बैंक का माह दिसम्बर 2018 के अन्त तक रू 26.29 लाख राशि का ऋण ही बकाया है। मण्डल की योजनाओं के विकास हेतु राज्य सरकार से किसी भी प्रकार का अनुदान/वित्तीय सहायता राशि प्राप्त नहीं होती है।

3. पंजीकरण प्रक्रिया

3.1 पंजीकरण पुस्तिका

आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं के लिए निर्धारित पुस्तिका का विक्रय मूल्य

कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र / 2013 / 563 दिनांक 17.07.2014 द्वारा 300.00 रू कर दिया गया है।

3.2 पंजीकरण की प्रोसेसिंग फीस

आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में विभिन्न आय वर्ग के आवेदकों के पंजीकरण हेतु कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र / 2013 / 765 दिनांक 8.08.2013 द्वारा नवीन पंजीकरण की प्रोसेसिंग फीस निम्नानुसार निर्धारित की गयी हैः–

आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग (अ)	मध्यम आय वर्ग (ब)	उच्च आय वर्ग
रू 500.00	रू 700.00	रू 1000.00	रू 1500.00	रू 2000.00

प्रोसेसिग फीस किसी भी आवेदक को पुर्नभुगतान / समायोजन योग्य नहीं है।

3.3 आय वर्ग एंव पंजीकरण राशि

आवास लेने का इच्छुक कोई भी भारतीय नागरिक, मण्डल में पंजीकरण करा सकता है। विभिन्न आय वर्ग के आवासों के लिए विभिन्न आवासीय योंजनाओं में पंजीकरण हेतु आवेदकों की आय सीमा कार्यालय आदेश क्रमांकः मुसप्र / आय / बो.मी.–217. 7 / 2012 / 901 दिनांक 12.10.2012 एंव पंजीकरण राशि आदेश क्रमांक मुसप्र / 2009 / 481 दिनांक 26.06.2009. से निम्नानुसार निर्धारित है :–

(अ) वार्षिक आय एंव पंजीकरण राशि (सामान्य)

क्र. सं.	आवेदक का आय वर्ग	वार्षिक आय	पंजीकरण राशि
1.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	1,00,000 / –	7,000
2.	अल्प आय वर्ग	1,00,001 से 2,50,000 तक	15,000
3.	मध्यम आय वर्ग "अ"	2,50,001 से 4,50,000 तक	50,000
4.	मध्यम आय वर्ग "ब"	4,50,001 से 6,00,000 तक	80,000
5.	उच्च आय वर्ग	6,00,001 एवं अधिक	1,20,000

(ब) मुख्यमंत्री जनआवास योजना हेतु वार्षिक आय का निर्धारण

मण्डल द्वारा जारी आदेश क्रमांक मुसप्र / 2018 / 713 दिनांक 10.09.2018 के अनुसार मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत भविष्य में प्रारम्भ की जाने वाली आवासीय योजना के पंजीकरण हेतु आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के आवेदकों को दो श्रेणी यथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग– प्रथम (वार्षिक आय सीमा रू 1,50,000 तक) तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग –द्वितीय (वार्षिक आय सीमा रू 1,50,000 से 3,00,000 तक) में विभक्त कर आय का निर्धारण किया गया है।

(स) स्ववित्त पोषित योजना के आवेदकों हेतु पंजीकरण राशि

स्ववित्त पोषित योजना में आवेदन करने वाले आवेदकों से पंजीकरण राशि आवास की लागत की 10 प्रतिशत लिये जाने का प्रावधान कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2009/481 दिनांक 29.06.2009 द्वारा लागू किया गया तथा कार्यालय आदेश प. 149/मुसप्र/नवीन पंजी. योजना/2012/3068 दिनांक 02.04.2012 द्वारा मण्डल की आवासीय योजनाओं में पंजीकरण कराने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को पंजीकरण राशि की 50 प्रतिशत राशि पंजीकरण के रूप में जमा कराने की रियायत दी गई है।

3.4 बहुमंजिले आवासों हेतु पंजीकृत आवेदकों के मूल आय वर्ग परिवर्तन के प्रावधान

बहुमंजिले आवासों के संबंध में कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र / 2009/481 दिनांक 29.06.2009 के द्वारा निम्नानुसार नये प्रावधान तय किये गये हैं :–

- बहुमंजिले आवासों के पंजीकरण हेतु आवेदक के मूल आयवर्ग से दो आयवर्ग नीचे अथवा दो आयवर्ग ऊपर के आवास हेतु पंजीकरण करवाये जा सकेगें।
- आयवर्ग से ऊपर के आवासों के पंजीकरण नकद भुगतान पद्धति पर भी मान्य होगें।
- आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आयवर्ग के आवासों हेतु मध्यम आयवर्ग (ब) व उच्च आयवर्ग के आवेदक आवेदन नहीं कर सकेंगे तथा पात्रता आयवर्ग से नीचे की श्रेणी में आवेदन करने पर मूल पात्रता के आवेदक को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।
- पंजीकरण राशि आवास के आयवर्ग अनुसार ली जायेगी।

3.5 पंजीकरण राशि पर निम्न दर से ब्याज देय है :–

लागत सिद्धान्त–2010 के अनुसार पंजीकरण एवं पूर्व ग्रहण राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक अथवा आवंटन पत्र जारी होने की तिथी को लागू ब्याज देय होगा। स्ववित्त पोषित योजना के आवेदकों को ब्याज देय नहीं होगा।

3.6 पंजीकरण राशि की वापसी

आवेदकों को पंजीकरण राशि वापिस लेने की सुविधा मण्डल ने दे रखी है। पंजीकरण की तिथि के डेढ़ वर्ष के बाद पूर्वग्रहण राशि मॉगपत्र जारी करने से पूर्व रिफण्ड मॉगने की स्थिति में पंजीकरण राशि निर्धारित ब्याज सहित वापिस ली जा सकती है लेकिन आरक्षण पत्र जारी होने के बाद आरक्षण राशि जमा नहीं करवाने एवं आवास आवंटन के बाद राशि जमा नहीं करवाने एवं आवास नहीं लेने के कारण पंजीकरण निरस्त किया जाता है तो पंजीकरण राशि 20 प्रतिशत काटकर शेष राशि बिना ब्याज के भुगतान कर दी जाती है।

3.7 पंजीकरण का हस्तांतरण

(अ) मण्डल की आवासीय योजनाओं में पंजीकृत आवेदक द्वारा अपने निकट सम्बन्धियों

के नाम हस्तांतरण, मूल आवंटी की मृत्यु के उपरान्त वैधानिक उत्तराधिकारी के नाम हस्तांतरण, किराया क्रय पद्धति से नगद भुगतान में पंजीकरण हस्तांतरण एवं मण्डल से पंजीयन (रजिस्ट्री) के उपरान्त अन्य क्रेता द्वारा मण्डल के रिकॉर्ड में अपना नाम परिवर्तन इत्यादि हेतु प्रशासनिक शुल्क आवासन मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक–मुसप्र/2013/1642 दिनांक 20.01.2014 द्वारा निम्नानुसार निर्धारित/संशोधित किया गया है :–

- मूल आवंटी के नाम के साथ निकट सम्बन्धी के नाम जोड़ने के सभी आय वर्ग के प्रकरणों में रू. 2000/–प्रति प्रकरण प्रक्रिया शुल्क वसूलनीय होगा।
- मूल आवंटी की मृत्यु होने पर उसके वैधानिक उत्तराधिकारियों के नाम प्रतिस्थापित करने पर सभी आय वर्गो के प्रकरणों में रू. 2000/– प्रति प्रकरण प्रक्रिया शुल्क वसूलनीय होगा।
- किराया क्रय पद्धति से नकद भुगतान पद्धति के पंजीकरण/आवंटन को निकट सम्बन्धियों के नाम हस्तांतरण शुल्क में आंशिक संशोधन करते हुये निम्नानुसार शुल्क वसूलनीय होगा :–

आ.दृ.क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग–अ	मध्यम आय वर्ग–ब	उच्च आय वर्ग
500/–रू.	500/–रू.	1000/–रू.	2500/–रू.	5000/–रू.

- प्रथम पंजीयन के उपरान्त अनुवर्ती पंजीयन करवाकर बोर्ड के रिकार्ड में नाम परिवर्तन कराने पर पश्चातवर्ती पंजीयन के आधार पर प्रशासनिक शुल्क में आंशिक संशोधन करते हुये निम्नानुसार शुल्क वसूलनीय होगा :–

आ.दृ.क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग–अ	मध्यम आय वर्ग–ब	उच्च आय वर्ग
5000/–रू.	5000/–रू.	10000/–रू.	15000/–रू.	20,000/–रू.

- विधिक प्रभार–मण्डल की आवासीय योजनाओं के विभिन्न आवंटियों द्वारा दायर विभिन्न कोर्ट केसेज में मण्डल द्वारा वहन किये जा रहे व्यय के मद्देनजर प्रत्येक आवास, भूखण्ड, प्लिन्थ, वाणिज्यिक भूखण्ड, संस्थानिक भूखण्ड के आवंटन पत्रों में निम्नानुसार विधिक शुल्क वसूलनीय होगा :–

आ.दृ.क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग–अ	मध्यम आय वर्ग–ब	उच्च आय वर्ग
200/–रू.	300/–रू.	500/–रू.	1000/–रू.	2,000/–रू.

संस्थानिक आवंटन	वाणिज्यिक निर्मित दुकान	वाणिज्यिक भूखण्ड 100 वर्गमीटर तक	वाणिज्यिक भूखण्ड 100 वर्ग मी. से अधिक
10,000/–रू.	1,000/–रू.	1,000/–रू.	5,000/–रू.

(ब) मृत्यु उपरान्त पंजीकरण/आवंटन हस्तान्तरण : पंजीकृत आवेदक/आवंटी की मृत्यु के उपरान्त उसके वैधानिक उत्तराधिकारी के नाम पंजीकरण/आवंटन के हस्तांतरण हेतु कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र./92/2312 दिनांक 1.12.1992 के अनुसार निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का प्रावधान निहित है :–

- ऐसे पंजीकृत आवेदक/आंवटी जिन्होंने आवेदन पत्र में प्राथमिकता के आधार पर उनकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में पंजीकरण/आवंटन का हस्तांतरण करने हेतु किसी व्यक्ति को मनोनीत किया हुआ है तो ऐसे प्रकरणों में मनोनयन के आधार पर आवेदक/आवंटी की मृत्यु के पश्चात उसके पंजीकरण/आवंटन का हस्तानान्तरण नियमानुसार औपचारिकता पूर्ण करने पर किया जाएगा।
- जिन प्रकरणों में आवेदक/आवंटी द्वारा उनकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में पंजीकरण/आवंटन के हस्तान्तरण हेतु किसी का मनोनयन नहीं किया गया है, उनमें आवेदक/आवंटी की मृत्यु के पश्चात पंजीकरण/आवंटन का हस्तान्तरण केवल आवेदक के पति/पत्नि या पति–पत्नि के माता–पिता, भाई–बहिन, पुत्र–पुत्री, पुत्रवधु–दामाद को ही नियमानुसार औपचारिकता पूर्ण करने पर किया जाएगा।
- ऐसे पंजीकृत आवेदक/आवंटी जिन्होंने आवेदन पत्र में उनकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में पंजीकरण/आवंटन का हस्तान्तरण करने के लिये किसी का मनोनयन किया हुआ है किन्तु उसकी मृत्यु के उपरान्त मनोनीत उत्तराधिकारियों सहित अन्य प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों द्वारा पंजीकरण/आवंटन का हस्तान्तरण किसी अन्य उत्तराधिकारी के नाम चाहा जा रहा है तो ऐसी स्थिति में मनोनीत उत्तराधिकारी द्वारा अपने अधिकारों का त्याग कर नियमानुसार वांछित प्रपत्र में उस उत्तराधिकारी के नाम पंजीकरण/आवंटन का हस्तान्तरण करने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर भी किया जा सकेगा। किन्तु प्रत्येक स्थिति में पंजीकरण का हस्तान्तरण केवल पंजीकृत आवेदक/आवंटी के पति–पत्नि, पति/पत्नि के माता पिता, भाई बहिन, पुत्र–पुत्री, पुत्रवधु–दामाद को ही नियमानुसार औपचारिकता पूर्ण करने पर किया जा सकेगा।
- पंजीकरण/आवंटन/हस्तान्तरण हेतु सम्बन्धित वृत्त के उप आवासन आयुक्त सक्षम अधिकारी होंगे। यदि किन्ही मामलों में वैधानिक कठिनाई एवं विशेष परिस्थितियां हो तो ऐसे मामले विधि प्रकोष्ठ के माध्यम से मुख्यालय की अनुमति हेतु प्रेषित किये जायेंगे।

3.8 निःशक्तजन (दिव्यांग) श्रेणी के आवेदकों को बहुमंजिलीय योजनाओं में आवास आवंटन प्रक्रिया में संशोधन :–

मण्डल की विभिन्न बहुमंजिलीय आवासीय योजनाओं में निर्मित फ्लैटों में निःशक्तजन आवेदकों को भूतल पर ही आवास आवंटन किये जाने का प्रावधान आदेश क्रमांक प.

विकलांग/आवास आवंटन/मुसप्र/ 2010/644 दिनांक 07.06.2010 द्वारा जारी किया गया था। चूंकि वर्तमान में मण्डल द्वारा कई बहुमंजिलीय आवासीय योजनाए निर्मित की जा रही है जिनमें भूतल पर आवास न होकर स्टील्ट पार्किंग की व्यवस्था है।

अतः उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये संशोधित आदेश क्रमांक प./विकलांग/आवास आवंटन/मुसप्र/2014/1143 दिनांक 25.11.2014 के अनुसार ऐसी बहुमंजिलीय आवासीय योजनाऐं जिनमें स्टील्ट पार्किंग की व्यवस्था है उनमें निःशक्तजन श्रेणी के आवेदकों के लिये पृथक से निर्धारित आरक्षण के अनुरूप प्रथमतः लॉटरी आयोजित की जाकर प्रथम तल पर फ्लैटों को आवंटन किया जायेगा एवं इसके उपरान्त शेष बचे फ्लैट्स की लॉटरी द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार शेष आवेदकों को फ्लैटों को आवंटन किया जायेगा। जिन बहुमंजिलीय आवासीय योजनाओं में भूतल पर स्टील्ट पार्किंग की व्यवस्था नहीं है उनमें पूर्ववत जारी आदेश दिनांक 07.06.2010 के प्रावधान यथावत लागू रहेंगे।

3.9 सामान्य एवं विशिष्ट पंजीकरण योजना के आवासों हेतु पूर्व ग्रहण राशि जमा कराने के प्रावधान

इन योजनाओं में आदेश क्रमांक 243 दिनांक 23.05.2011 के अनुसार आवास आवंटन से पूर्व आवेदकों को अपने आय वर्ग के अनुसार आवास आरक्षित करने हेतु पूर्वग्रहण राशि तीन किश्तों में जमा करानी होती है। प्रथम किश्त, पूर्वग्रहण राशि–पत्र जारी होने की तारीख से एक माह के अन्दर एवं दूसरी किश्त उसी पत्र के जारी होने की तारीख के 4 माह के अन्दर तथा तीसरी किश्त का भुगतान उसी पत्र के जारी होने की तारीख से 7 माह के अन्दर या आवास आवंटन के समय जो भी पहले हो, जमा करानी पड़ती है। आदेश क्रंमांक मु.स.प्र/2009/481 दिनांक 29.06.2009 के अनुसार पूर्वग्रहण राशि के प्रावधान निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	आय वर्ग	पूर्वग्रहण राशि किश्त			
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	योग
1.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	5,000	5,000	5,000	15,000
2.	अल्प आय वर्ग	10,000	10,000	10,000	30,000
3.	मध्यम आय वर्ग ''अ''	40,000	30,000	30,000	1,00,000
4.	मध्यम आय वर्ग ''ब''	70,000	70,000	60,000	2,00,000
5.	उच्च आय वर्ग	1,00,000	1,00,000	1,00,000	3,00,000

3.10 स्ववित्त पोषित योजना के आवासों हेतु आरक्षण राशि जमा कराने के प्रावधान :–

स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग ''अ'', मध्यम आय वर्ग ''ब'' एवं उच्च आय वर्ग श्रेणी आवासों के निर्माण हेतु जो आवेदक अपनी स्वयं की पूंजी लगाकर मण्डल से शीघ्र आवास प्राप्त करना चाहते है, ऐसे आवेदकों के लिये भूमि की उपलब्धता के अनुसार आवासीय योजनाऐं बनाई जाकर पंजीकरण किये जाते है। इन योजनाओं के अन्तर्गत

निर्मित होने वाले आवासों की लागत कार्यालय आदेश मुसप्र / 2009 / 481 दिनांक 29.06.2009 में निहित प्रावधान अनुसार आवेदकों से 10 प्रतिशत राशि पंजीकरण के समय एवं शेष 90 प्रतिशत राशि योजना के निर्माण का कार्यादेश जारी करने के पश्चात् आरक्षण पत्र जारी करते हुए निम्नानुसार मांगी जाती है :–

क्र. सं.	आवासों का प्रकार	पंजीकरण राशि	आरक्षण पत्र के पश्चात् प्राप्त की जानी वाली राशि		
			किस्त	**समयावधि**	**राशि**
1.	स्वतंत्र आवास	10.00 %	प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ	1 माह 4 माह 7 माह 10 माह	22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 %
2.	बहुमंजिले आवास	10.00 %	प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम् षष्ठ्म सप्तम्	1 माह 4 माह 7 माह 10 माह 13 माह 16 माह 19 माह	15.00 % 15.00 % 15.00 % 15.00 % 10.00 % 10.00 % 10.00 %

इस योजना में निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु कार्यादेश जारी होते ही किश्तों का मांग पत्र (आरक्षण पत्र) जारी किया जायेगा। स्वतंत्र आवास के लिए निर्माण अवधि (प्रोजेक्ट पीरियड) 18 माह तथा फ्लैट हेतु निर्माण अवधि 30 माह निर्धारित है। निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने पर उपरोक्तानुसार निर्माण अवधि के पश्चात आवेदक की जमा राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से आवंटन पत्र जारी करने तक ब्याज देय होगा।

निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् आवेदक द्वारा वांछित राशि जमा नहीं कराने/पंजीकरण वापस लेने के फलस्वरूप पंजीकरण निरस्त होने की स्थिति में निर्माण कार्य की प्रगति रोकना संभव नहीं है। अतः स्ववित्त पोषित योजना के पंजीकरण निरस्तीकरण के संबंध में निम्न प्रावधान निर्धारित हैं :–

1. पूर्व पंजीकृत आवेदकों द्वारा स्ववित्त पोषित योजना का विकल्प देने के पश्चात् पंजीकरण निरस्तीकरण स्थिति में आवेदक का मूल पंजीकरण भी निरस्त किया जायेगा।

2. पंजीकरण निरस्तीकरण की स्थिति में आवेदक की जमा राशि में से निम्नानुसार राशि की कटौती की जायेगी :–

(I) वरीयता निर्धारण से पूर्व कोई कटौती नहीं की जायेगी लेकिन जमा राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।

(ii) वरीयता निर्धारण के पश्चात् पंजीकरण राशि में 5 प्रतिशत की कटौती की जायेगी तथा पंजीकरण राशि पर ब्याज देय नहीं होगा। पंजीकरण के 18 माह तक अगर मण्डल आवासों का निर्माण प्रारम्भ नहीं करता है तो सम्पूर्ण राशि मय ब्याज लौटायी जायेगी।

(iii) आरक्षण पत्र जारी होने के पश्चात् पंजीकरण राशि की 20 प्रतिशत राशि की कटौती की जायेगी तथा जमा राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।

(iv) आरक्षण पत्र जारी होने के पश्चात किश्त जमा कराने की तिथि के बाद समस्त देय राशि की 20 प्रतिशत राशि कटौती की जायेगी तथा जमा राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।

उपरोक्त प्रावधानों में किसी भी अवस्था में अधिकतम कटौती पंजीकरण राशि तक सीमित होगी।

मण्डल में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत विभिन्न आय वर्गो हेतु नवीन योजनाओं में पंजीकरण ऑन लाईन प्रारम्भ किया जा चुका है। मण्डल में स्ववित्त पोषित योजना में आदेश क्रमांक मुसप्र/2009/481 दिनांक 29.06.2009 अनुसार आवास/फ्लैट की अनुमानित लागत का 10 प्रतिशत राशि पंजीकरण के रूप में जमा करवाने का प्रावधान है। अतः ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन के अन्तर्गत स्ववित्त पोषित योजना में जिनमें पंजीकरण राशि मय प्रोसेसिंग राशि के 5.00 लाख रू. से अधिक है, उन आवेदकों को पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ पंजीयन राशि +प्रोसेसिंग चार्जेज सहित 5.00 लाख तक की राशि जमा करवाने की सुविधा मण्डल के आदेश क्रमांक मुसप्र/2015/1681 दिनांक 30.03.2015 द्वारा प्रदान की जाती है तथा शेष पंजीकरण राशि जो कि 5.00 लाख रू. से ज्यादा होगी आरक्षण पत्र में प्रथम किस्त के साथ जमा करवानी होगी।

3.11 आवास आवंटन प्रणाली

वेब बेस्ड प्रणाली द्वारा आवास आवंटन :–राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा वेब बेस्ड प्रणाली द्वारा वरीयता एंव आवास आवंटन की लॉटरी निकाली जा रही है। आवासों की लॉटरी के लिये राजकॉम्प द्वारा RHBMS परियोजना के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, जिसे स्टेट डेटा सेंटर (SDC) पर संधारित किया जा रहा है। लॉटरी आवंटन की सूचना मण्डल की वेबसाईट urban.rajasthan.gov.in/rhb पर लॉटरी निकलने के तत्काल बाद पीडीएफ (Pdf) फार्मेट में अपलोड कर दी जाती है। आवासों का आवंटन ''डिस्पोजल ऑफ प्रोपर्टी रेग्यूलेशन्स–1970'', ''पंजीकरण और आवंटन की संशोधित प्रक्रिया 1981'' एवं इस सम्बन्ध में जारी संशोधनों एवं परिपत्रों के तहत किया जाता है। पंजीकृत आवेदकों की वरीयता का निर्धारण पंजीकरण वर्ष, आय वर्ग, भुगतान पद्धति के विकल्प तथा आरक्षित वर्ग अनुसार किया जाता हैं। आवासों का निर्माण शुरू होने पर वरीयतानुसार आवेदकों को आवास हेतु सीड मनी पत्र जारी कर पूर्व ग्रहण राशि एवं स्ववित्त पोषित योजना के आवेदकों को आरक्षण पत्र जारी कर आरक्षण राशि की मांग की जाती है।

3.12 वर्गवार आवास आरक्षण का प्रावधान

मण्डल द्वारा विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं को देखते हुए निर्मित मकानों के आवंटन में आरक्षण का प्रावधान कार्यालय आदेश क्रमांक अ.मु.अ.(पीएण्डएम)/रा.आ.मं./2012/303 दिनांक 04.10.2012 द्वारा निम्नानुसार प्रभावी किया गया है :–

क्र. सं.	वर्ग	आवेदक की श्रेणी	आरक्षित कोटा
1.	जी–1	वैतनिक श्रेणी–प्रथम (केन्द्र सरकार के कर्मचारी तथा केद्रीय एवं राज्य सरकार के बोर्ड/निगम के कर्मचारी/प्राईवेट सेक्टर में कार्यरत कर्मचारी) वैतनिक श्रेणी–द्वितीय (राज्य सरकार के कर्मचारी, अधिकारी)	18.00 प्रतिशत 10.00 प्रतिशत
2.	जी–2	सामान्य श्रेणी प्रोफेशनल श्रेणी केवल प्रोफेशनल्स एडवोकेट, चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट एवं प्राईवेट डॉक्टर्स	29.00 प्रतिशत 05 प्रतिशत
3.	जी–3	मण्डल कार्मिक (बोर्ड कर्मचारी)	01 प्रतिशत
4	जी–4	अनुसूचित जाति	16 प्रतिशत
5.	जी–5	अनुसूचित जन जाति	12 प्रतिशत
6.	जी–6	वर्तमान एवं भूतपूर्व विधायक/सांसद/अधिस्वीकृत पत्रकार	1.5 प्रतिशत
7.	जी–7	स्वतंत्रता सैनानी	0.5 प्रतिशत
8.	जी–8	भू. सैनिक एवं सैनिकों की विधवाएं	03 प्रतिशत
9.	जी–9	विकलांग (अंधता/शारीरिक/मूक बधिर)	01 प्रतिशत 01 प्रतिशत 01 प्रतिशत
10.	जी–10	वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिक एवं ऐशियाड/ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी	01 प्रतिशत
		योग	100.00 प्रतिशत

3.13 पंजीकरण में आवेदक के निकट सम्बन्धी का नाम जोड़ने बाबत

किसी भी पंजीकृत आवेदक द्वारा आवेदन करने पर उसके पंजीकरण में उसकी इच्छानुसार आवेदक के पुत्र,पुत्री,पुत्रवधु,दामाद,माता–पिता, भाई–बहन, पति–पत्नी ही सम्मिलित किये जा सकेंगे। ये नाम आवास की रजिस्ट्री होने तक कभी भी जोड़े जा सकते हैं। इससे आवेदक को आवास हेतु वित्तीय संस्थाओं से पर्याप्त ऋण आसानी से प्राप्त हो सकेंगे तथा आवेदक को मण्डल का आवास प्राप्त करने के लिए धन की व्यवस्था करने में सुविधा होगी।

3.14 भुगतान पद्धति में परिवर्तन के सम्बन्ध में

मण्डल में नियमानुसार किराया क्रय पद्धति में पंजीकृत आवेदकों को पंजीकरण नकद भुगतान पद्धति में परिवर्तित कराने की सुविधा है, किन्तु इसके विपरीत नकद भुगतान पद्धति से किराया क्रय पद्धति में परिवर्तन पूर्णतया प्रतिबंधित है।

3.15 किश्तों पर देय ब्याज दर

आदेश क्रमांक एफ 2/3/लागत/1030/561 दिनांक 9.03.2006 एवं यथा संशोधित कार्यालय आदेश 586 दिनांक 11.03.2010 से आवासन मण्डल द्वारा विभिन्न आयवर्गों के आवंटित आवासों के आवंटियों से लागत में प्रभारित की जा रही एवं किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत आवंटित आवासों के आवंटियों से वसूली जाने वाली ब्याज दर निम्न प्रकार तय की गई है :–

क्र. सं.	आय वर्ग	ब्याज दर प्रतिशत	मासिक किश्तों की अवधि
1.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	9.00%	240 माह
2.	अल्प आय वर्ग	12.00%	240 माह
3.	मध्यम आय वर्ग (अ)	12.75%	156 माह
4.	मध्यम आय वर्ग (ब)	13.25%	156 माह
5.	उच्च आय वर्ग	13.75%	156 माह

कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 2/3/लागत/1030/561 दिनांक 9.03.2006 के अनुसार विभिन्न आयवर्गो के आवंटित आवासों पर परियोजना अवधि पर लिये जाने वाले ब्याज तथा किराया क्रय पद्धति में आवंटित आवासों के आवंटियों से वसूल किये जा रहे ब्याज की दर कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 2(3)लागत/1017/1097 दिनांक 23.12.2015 द्वारा दिनांक 1.10.2015 के बाद प्रारम्भ होने वाली नवीन पंजीकरण योजनाओं के लिए निम्नानुसार संशोधित की जाती है:–

क्र. सं.	आय वर्ग	पूर्व में प्रभावी ब्याज दर	संशोधित ब्याज दर
1.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	9.00%	8.00%
2.	अल्प आय वर्ग	12.00%	9.00%
3.	मध्यम आय वर्ग (अ)	12.75%	10.00%
4.	मध्यम आय वर्ग (ब)	13.25%	11.00%
5.	उच्च आय वर्ग	13.75%	12.00%

4. गुणवत्ता नियंत्रण

गुणवत्ता नियंत्रण हेतु वृत्त कार्यालयों/खण्ड कार्यालयों के अधीन नियमित रूप से निर्माण सामग्री के परीक्षण हेतु प्रयोगशालाऐं स्थापित है। मण्डल द्वारा विभिन्न भवन निर्माण सामग्री के नमूनों का परीक्षण सरकारी अभियान्त्रिकी महाविद्यालयों, भारत सरकार द्वारा स्थापित NABL स्वीकृत प्रयोगशालाओं से करवाया जाता है।

गुणवत्ता के निर्धारित मापदण्डों को सुनिश्चित करने के लिए मण्डल मुख्यालय पर पृथक से एक उप आवासन आयुक्त स्तर के अधिकारी कार्यरत है, जिनके अधीन दो आवासीय अभियंता जयपुर में तथा एक आवासीय अभियंता जोधपुर में मय अन्य तकनीकी

अधिकारी / कर्मचारी के साथ पदस्थापित है जो स्तवंत्र रूप से अपने स्तर पर भी निर्माण सामग्री के नमूने एकत्रित कर पृथक से स्थापित प्रयोगशाला में स्वतंत्र तरीके से परीक्षण करते हैं।

गुणवता नियन्त्रण के परिपेक्ष्य में मण्डल द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक मुअ–मु / राआम / 933 दिनांक 04.11.15 जारी किया गया है। इसके अनुसार समस्त वृत्तों के क्षेत्राधिकार में प्रगतिरत विभिन्न प्रकृति की समस्त परियोजनाओं में चल रहे निर्माण कार्यो का तृतीय पक्ष से स्वतंत्र निरीक्षण करवाने हेतु प्रभारी अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता को अधिकृत किया गया। स्वतंत्र जांचकर्ताओं द्वारा अपने स्तर से निरीक्षणाधीन निर्माण कार्यों के आवश्यक सैम्पल लिये जाकर इनकी जांच NABL अनुमोदित प्रयोगशाला में करवाने के उपरान्त जांच परिणाम भी अपनी रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किये जाते है।

5. मण्डल की कॉलोनियों में नागरिक सुविधाएँ

आवासन मण्डल द्वारा विकसित सभी योजनाओं में आवश्यक नागरिक सुविधाएँ जैसे सड़कें, विद्युत, जल वितरण, पार्क व खुले मैदान, व्यावसायिक केन्द्र, सीवरेज व्यवस्था, रोड़ लाईट व्यवस्था, वृक्षारोपण, नालियों की व्यवस्था इत्यादि उपलब्ध कराई जाती है। मण्डल की आवासीय कालोनियों में अस्पताल, बैंक, डाकघर, स्कूल, कॉलेज आदि के भूमि आरक्षित कर इन संस्थाओं को मंडल के नियमानुसार भूमि उपलब्ध करायी जाती है। बोर्ड द्वारा विकसित की गयी योजनाओं में सभी सुविधाएं प्रदान करने के बाद इन सुविधाओं के रख–रखाव एवं सफाई व्यवस्था हेतु कॉलोनियाँ स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित कर दी जाती है। आवासीय योजना की सुपुर्दगी के समय संबंधित स्थानीय निकाय एवं मण्डल की आपसी सहमति से इस हेतु उचित राशि का भुगतान संबंधित निकाय को मण्डल द्वारा किया जाता है।

6. प्रचार प्रसार

जन सम्पर्क प्रकोष्ठ द्वारा आवासन मण्डल की विभिन्न उपलब्धियों एवं भावी योजनाओं आदि से सम्बन्धित नवीनतम जानकारी प्रचार के विभिन्न माध्यमों यथा दूरदर्शन, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों एवं मण्डल की वेबसाईट के माध्यम से जन साधारण को उपलब्ध करवायी जाती है।

7. राशि संग्रहण केन्द्रों की स्थापना

(अ) खातों के रख–रखाव में सुगमता हेतु प्रत्येक वृत्त कार्यालय पर कम्प्यूटर स्थापित कर दिये गये हैं जिससे प्रत्येक दिन राशि संग्रहण केन्द्र पर एकत्रित की गई राशि का लेखा–जोखा कम्प्यूटर से तैयार कर लिया जाता है। इससे सभी केद्रों पर एक दिन में एकत्रित की गई राशि की जानकारी उसी दिन हो जाती है।

(ब) आवेदकों / आवंटियों की सुविधा के लिए निम्नाकिंत शहरों में आवासन मण्डल के 9 राशि संग्रहण केन्द्र स्थापित हैं, जहां मण्डल द्वारा मांगी गई आवास आरक्षण / आवंटन हेतु वांछित राशि, मासिक किश्तें, लीज मनी इत्यादि जमा की जाती है।

आवासन मण्डल के राशि संग्रहण केन्द्रों की सूची

क्र. सं.	शहर	काउन्टर न.	केन्द्र का पता
1	जयपुर	9	1 कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, सैक्टर–5 प्रताप नगर, सांगानेर।
		8	2. थड़ी मार्केट, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर।
		10	3. मुख्यालय परिसर, राजस्थान आवासन मण्डल, ज्योति नगर।
		5	4. सैक्टर–9, पानी की टंकी के पास, मालवीय नगर।
2	कोटा	1	कार्यालय उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल (नगर विकास न्यास कार्यालय के पीछे), कोटा।
3	जोधपुर	1	1. कार्यालय उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त–प्रथम, सैक्टर–11, चौपासनी आवासीय योजना जोधपुर ।
		2	2. कार्यालय आवासीय अभियन्ता, खण्ड द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल सैक्टर–4 कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।
4	अलवर	1	कार्यालय उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, प्रतापनगर, सी.ई.बी.योजना बस स्टैण्ड के पीछे, अलवर।
5	बीकानेर	1	कार्यालय उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, मुक्ता प्रसाद नगर बीकानेर।

राशि संग्रहण हेतु अधिकृत बैंक

आवासन मण्डल द्वारा राज्य के विभिन्न शहर / कस्बों में राशि संग्रहण हेतु अधिकृत बैंकों की सूची –

कम संख्या	वृत का नाम	शहर / कस्बा / जिला	अधिकृत बैंक
1	वृत्त प्रथम, जयपुर	प्रताप नगर, जयपुर	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, आई.सी.आई.सी.आई बैंक.
2	वृत्त द्वितीय, जयपुर	जयपुर	आई.सी.आई.सी.आई बैंक. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया,
		अजमेर	एचडीएफसी बैंक बैंक ऑफ बडौदा
		नसीराबाद (अजमेर)	बैंक ऑफ बडौदा
		सीकर	आई.सी.आई.सी.आई बैंक
		चुरू	आई.सी.आई.सी.आई बैंक. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
		झून्झनू	आई.सी.आई.सी.आई बैंक
		किशनगढ	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
		ब्यावर	एचडीएफसी बैंक
3	वृत्त तृतीय, जयपुर	जयपुर	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, आई.डी.बी.आई बैंक
		दौसा	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया,
		सवाई माधोपुर	आई.सी.आई.सी.आई बैंक,
		टौंक	आई.सी.आई.सी.आई बैंक,
		कोटपूतली (जयपुर)	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया,
4	वृत्त प्रथम / द्वितीय, जोधपुर	जोधपुर	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
		पाली	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया,
		सुमेरपुर (पाली)	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
		सिरोही	आई.सी.आई.सी.आई बैंक.
		पिण्डवाडा (सिरोही)	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया

क्रम संख्या	वृत का नाम	शहर/कस्बा/जिला	अधिकृत बैंक
		आबूरोड (सिरोही)	आई.सी.आई.सी.आई बैंक.
		बालोतरा (सिराही)	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया,
		फलौदी (जोधपुर)	आई.सी.आई.सी.आई बैंक.
		बाडमेर	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
		जैसलमेर	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
5	कोटा	कोटा	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
		बांरा	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
		छीपाबडोद (बांरा)	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया,
		अटरू (बांरा)	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया,
		छबडा (बांरा)	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया,
		बूंदी	आई.सी.आई.सी.आई बैंक.
		भवानीमंडी (झालावाड)	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया,
		रामगंजमंडी (कोटा)	आई.सी.आई.सी.आई बैंक.
		झालावाड	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया आई.सी.आई.सी.आई बैंक.
		अकलेरा	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया,
		चौमेला	आई.सी.आई.सी.आई बैंक.
		अन्ता	आई.सी.आई.सी.आई बैंक.
		लाखेरी	आई.सी.आई.सी.आई बैंक.
6	उदयपुर	उदयपुर	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
		राजसमंद	आई.सी.आई.सी.आई बैंक. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
		प्रतापगढ	बैंक ऑफ बडौदा
		चित्तोडगढ	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया आई.सी.आई.सी.आई बैंक.
		निम्बाहेडा (चित्तोडगढ)	आई.सी.आई.सी.आई बैंक. बैंक ऑफ बडौदा
		गुलाबपुरा (भीलवाडा)	बैंक ऑफ बडौदा
		भीलवाडा	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया आई.सी.आई.सी.आई बैंक एवं एक्सिस बैंक
		बांसवाडा	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
		सागवाडा (डूंगरपुर)	आई.सी.आई.सी.आई बैंक.
		परतापुर (बांसवाडा)	आई.सी.आई.सी.आई बैंक.
		डूंगरपुर	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया आई.सी.आई.सी.आई बैंक.
		भीण्डर (उदयपुर)	आई.सी.आई.सी.आई बैंक.
		सलूम्बर (उदयपुर)	आई.सी.आई.सी.आई बैंक.
		नाथद्वारा	आई.सी.आई.सी.आई बैंक.
		रायला	आई.सी.आई.सी.आई बैंक.
7	अलवर	अलवर	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
		भिवाडी (अलवर)	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
		धौलपुर	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
		भरतपुर	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
8	बीकानेर	बीकानेर	आई.सी.आई.सी.आई बैंक.
		हनुमानगढ	एच.डी.एफ.सी बैंक
		सूरतगढ (श्रीगंगानगर)	आई.सी.आई.सी.आई बैंक
		श्रीगंगानगर	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
		नागौर	आई.सी.आई.सी.आई बैंक

8. समस्याओं का समयबद्ध निराकरण

आम जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु मंडल मुख्यालय पर नागरिक सेवा केन्द्र की स्थापना की गई है, इसके अतिरिक्त सभी वृत्त कार्यालयों में भी शिकायतों के निस्तारण हेतु पृथक से काउन्टर स्थापित किये गये है इनमें प्राप्त शिकायतों का समयाबद्ध तरीके से निस्तारण किया जाता है। मण्डल मुख्यालय पर माननीय अध्यक्ष महोदय एवं आवासन आयुक्त महोदय द्वारा सुनवाई की जाती है। समस्त वृत्त कार्यालयों पर उप आवासन आयुक्त द्वारा एवं स्वतंत्र खण्ड कार्यालयों पर सम्बन्धित आवासीय अभियन्ताओं द्वारा सुनवाई की जाती है। (आदेश क्रमांक प1(1)कार्मिक/विविध/2009/जनसुनवाई/2132 दिनांक 18.09.09) आवेदक/ आवंटी अपनी समस्या राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर भी दर्ज करा सकता है। जन सुनवाई के लिए स्थान एवं समय का निम्नानुसार निर्धारण किया गया है :–

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	जन सुनवाई का स्थान	जन सुनवाई हेतु निर्धारित दिन/समय
1.	अध्यक्ष	आवासन मण्डल (मुख्यालय)	प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर बाद 3 बजे से 5 बजे तक
2.	आवासन आयुक्त	आवासन मण्डल (मुख्यालय)	प्रतिदिन दोपहर बाद 3 बजे से 4.30 बजे तक
3.	उप आवासन आयुक्त	सम्बन्धित वृत्त कार्यालय	सोमवार, मंगलवार, बुधवार दोपहर बाद 3 बजे से 4 बजे तक
4.	तकनीकी सहायक, उप आवासन आयुक्त	सम्बन्धित वृत्त कार्यालय	गुरूवार एवं शुक्रवार दोपहर बाद 3 बजे से 4 बजे तक
5.	आवासीय अभियंता (स्वतंत्र खण्ड कार्यालय)	संबंधित खण्ड–कार्यालय	सोमवार, मंगलवार, बुधवार दोपहर बाद 3 बजे से 4 बजे तक
6.	तक. सहा. आवा. अभियंता (स्वतंत्र खण्ड कार्यालय)	संबंधित खण्ड–कार्यालय	गुरूवार एवं शुक्रवार दोपहर बाद 3 बजे से 4 बजे तक

9. कम्प्यूटरीकरण :–

राज.आवासन मण्डल में निम्नांकित कार्यों का सम्पादन कम्पयूटर के माध्यम से किया जा रहा है:

अ वित्त एवं लेखा कार्य

1 वार्षिक बजट

2 वेतन बिल, कटोती विवरण, वेतन स्थिरीकरण, बकाया भुगतान विवरण

3 मासिक खाते (मुख्यालय)

4 सामान्य भविष्य निधि लेखा

5 पेंशन सम्बन्धित कार्य

6 आयकर सम्बन्धित कार्य

7 आवंटियों से राशि संग्रहण का कार्य

8 आवंटी लेखा विवरण

ब आवासन कार्य

1 योजना / श्रेणीवार आवासों की वरीयता लॉटरी

2 आवास आवंटन लॉटरी

3 आवंटन पत्र

4 आवंटी की सूचनाओं सहित योजना का डेटा बेस

स विधिक कार्य

1 न्यायालय में लम्बित प्रकरणों का सूचीकरण (कार्यवाही प्रक्रियाधीन)

द संस्थापन कार्य

य योजनाओं के नक्शे एवं योजना सम्बन्धी कार्य

र नवीन आवासीय योजनाओं का ऑनलाईन पंजीकरण

10. भूमि अवाप्ति :–

मण्डल में वर्तमान में पंजीकृत आवेदकों को आवास उपलब्ध करवाने एवं भविष्य में आवासों की संभावित मांग को ध्यान में रखते हुए विभिन्न शहरों में भूमि अवाप्ति हेतु प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं। दिसम्बर 2018 तक मण्डल अधिनियम–1970 की धारा 27 के तहत 416. 367 हैक्टेयर भूमि (तालिका IV.a) की अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा जारी की जा चुकी है तथा 272.09 हैक्टेयर भूमि अवाप्ति हेतु प्रस्तावित है जिसमें धारा 27 की अधिसूचना जारी की जानी है । राज्य सरकार स्तर पर 142.8687 हैक्टेयर (तालिका IV.b) भूमि के अवाप्ति प्रस्ताव विचाराधीन है । इसके अतिरिक्त विशेषाधिकारी स्तर पर 21.75 हैक्टेयर (तालिका IV.c) भूमि के अवाप्ति प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

11. भौतिक प्रगति

11.1 भौतिक प्रगति : वर्ष 2018–19 (माह दिसम्बर 2018 तक)

क्र. सं.	गतिविधियां	उपलब्धि
1.	नये मकान प्रारम्भ करना	0
2.	मकानों को पूर्ण करना	406
3.	मकानों का आवंटन	52
4.	मकानों का कब्जा देना	708

11.2 आदिनांक तक भौतिक प्रगति :

मण्डल की स्थापना से दिसम्बर 2018 तक नये आवास प्रारम्भ/पूर्ण करने, आवंटन तथा कब्जा देने की वर्गवार स्थिति निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	आय वर्ग	नये आवास प्रारम्भ	आवास पूर्ण	आवास आवंटित	आवासों के कब्जे
1.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	81211	81130	79624	72979
2.	अल्प आय वर्ग	69532	68125	67791	61059
3.	मध्यम आय वर्ग –अ	41759	41529	40827	37982
4.	मध्यम आय वर्ग– ब	35666	35524	35095	33805
5.	उच्च आय वर्ग	22142	22070	21645	20669
	योग	**250310**	**248378**	**244982**	**226494**

12. वित्तीय तथा भौतिक प्रगति के ग्राफ

12.1 निर्माण कार्यों पर व्यय

बोर्ड की स्थापना से लेकर दिसम्बर 2018 तक निर्माण कार्यों पर कुल राशि रू. 7295.04 करोड़ व्यय की गयी है। वर्ष 2018–19 के दौरान निर्माण कार्यों पर 203.65 करोड के लक्ष्य के विरूद्ध माह दिसम्बर 2018 तक रू. 57.77 करोड़ व्यय किये गये।

<u>चित्र संख्या–1</u>

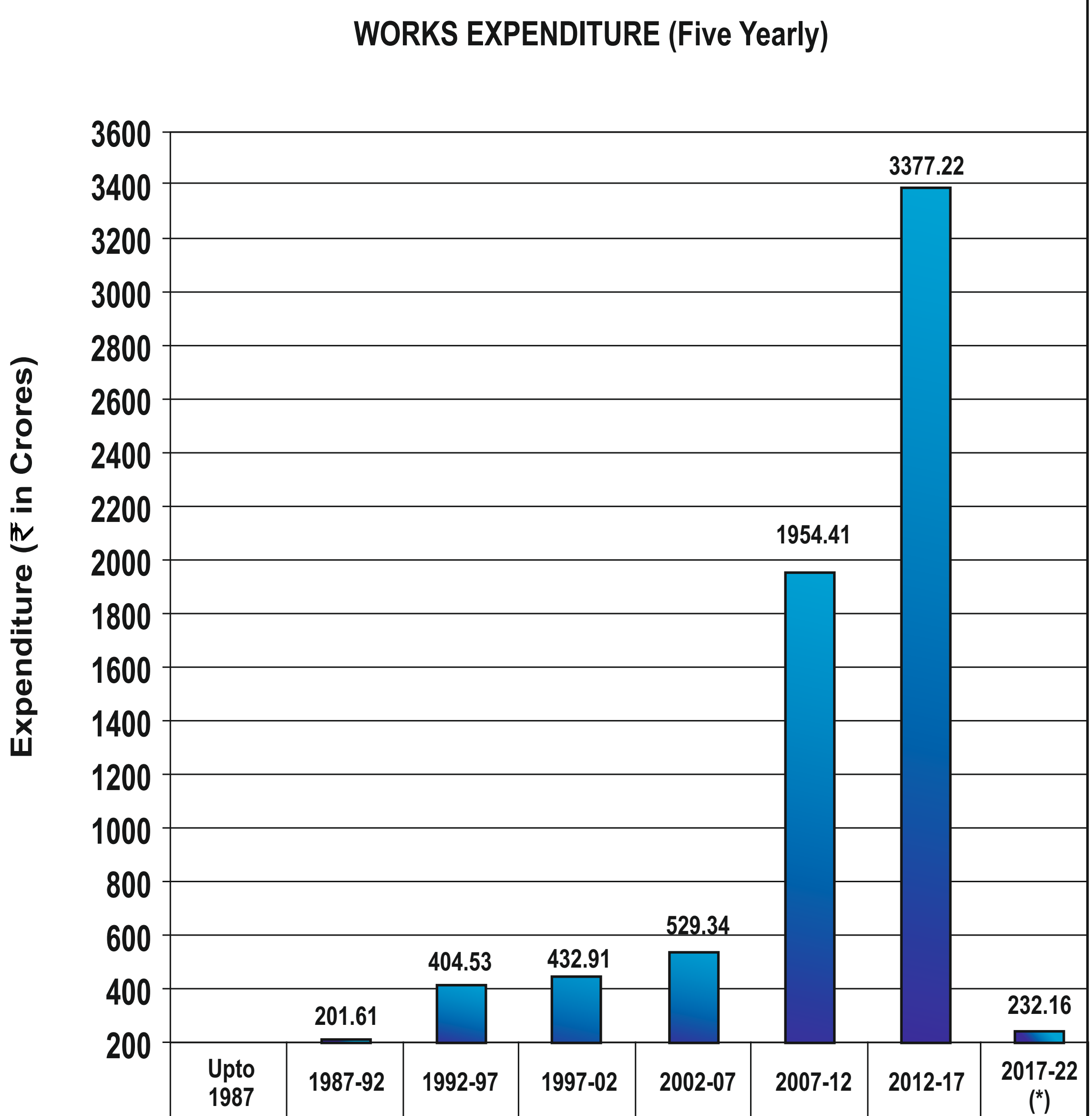

	Upto 1987	1987-92	1992-97	1997-02	2002-07	2007-12	2012-17	2017-22 (*)
Expenditure	162.86	201.61	404.53	432.91	529.34	1954.41	3377.22	232.16

YEAR / PERIOD

* Up to December -2018

12. 2 राजस्व प्राप्तियाँ

बोर्ड की स्थापना से लेकर दिसम्बर 2018 तक राशि रू. 10700.47 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई। वर्ष 2018–19 में राजस्व प्राप्तियों के लक्ष्य रू. 1000.00 करोड़ के विरूद्ध माह दिसम्बर 2018 तक रू. 263.11 करोड़ प्राप्त हुये।

चित्र संख्या–2

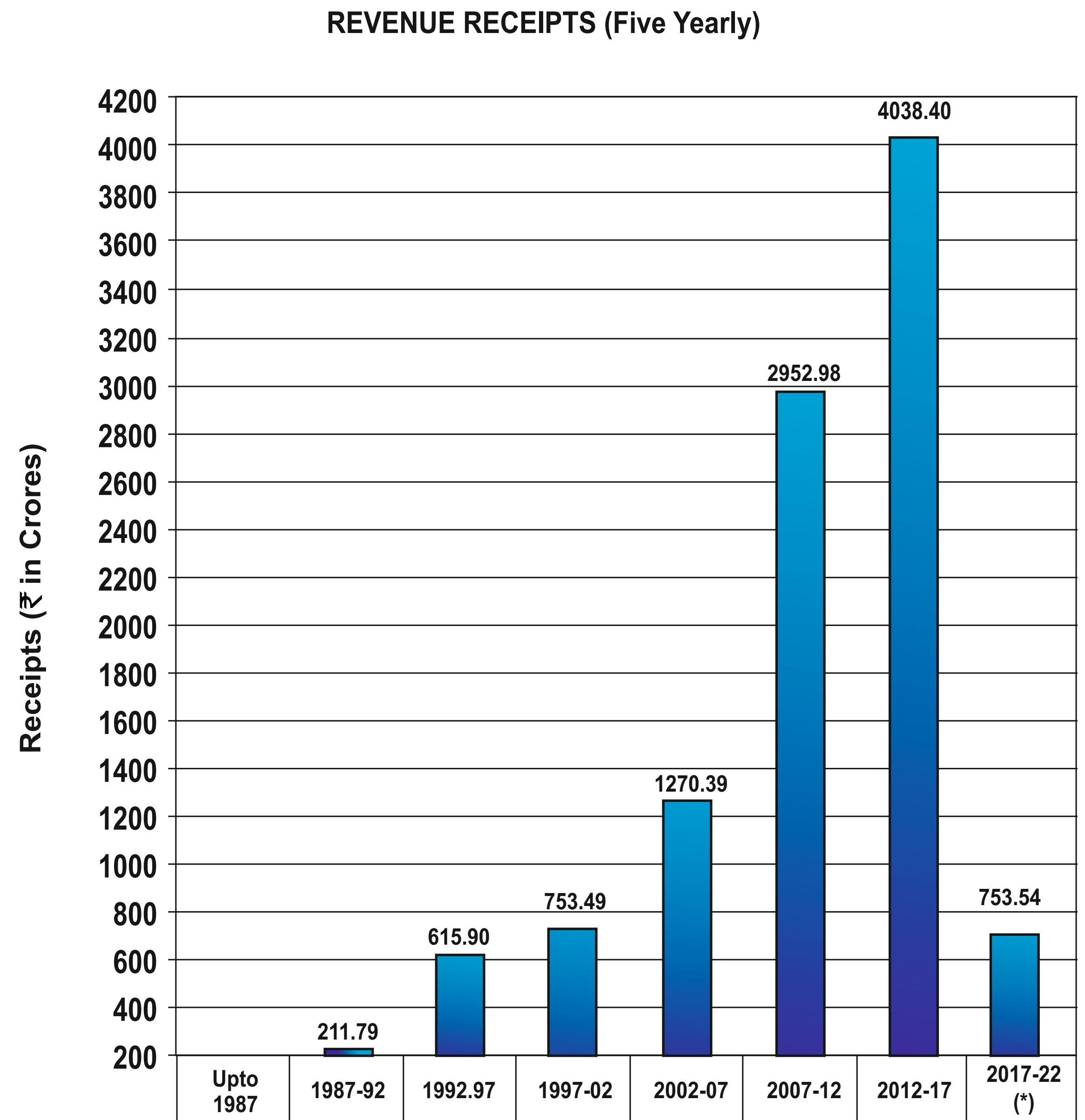

	Upto 1987	1987-92	1992.97	1997-02	2002-07	2007-12	2012-17	2017-22 (*)
Receipts	103.98	211.79	615.90	753.49	1270.39	2952.98	4038.40	753.54

* Up to December-2018

12.3 वर्ष 2018–19 के दौरान आवास गतिविधियों की भौतिक प्रगति का ग्राफ–

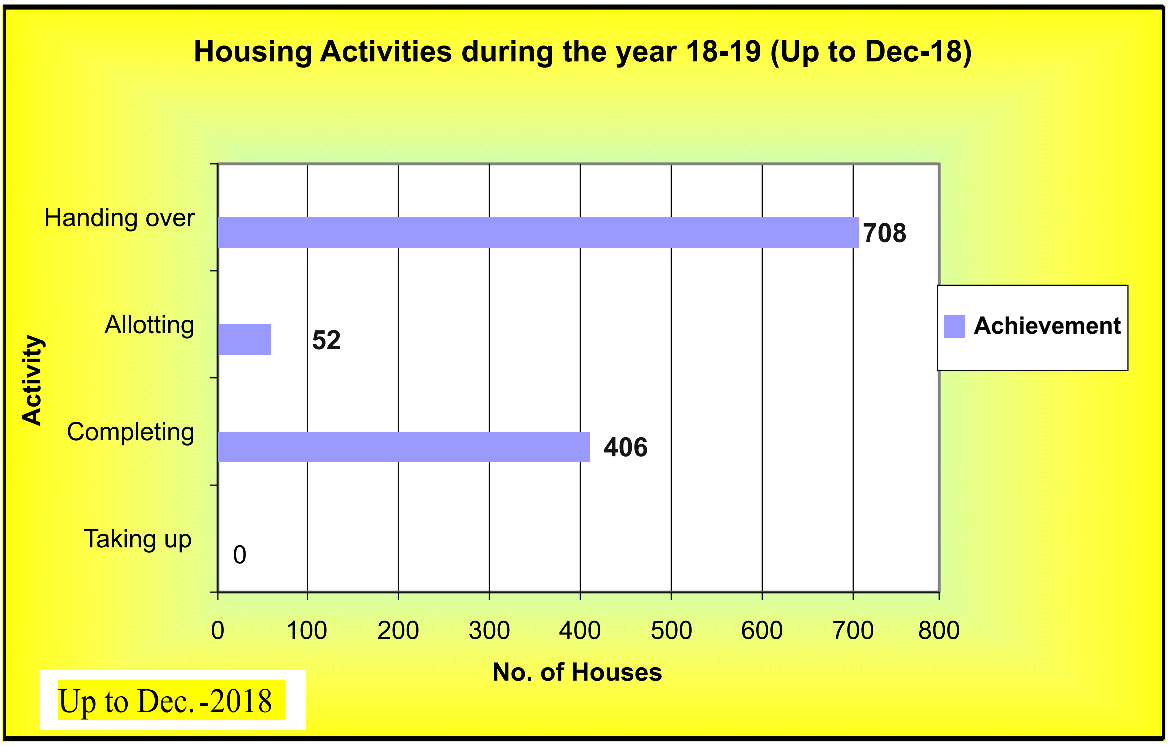

12.4– गत पॉच पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान मण्डल की मुख्य गतिविधियों की भौतिक प्रगति

Housing Activities (Five Year Plan)

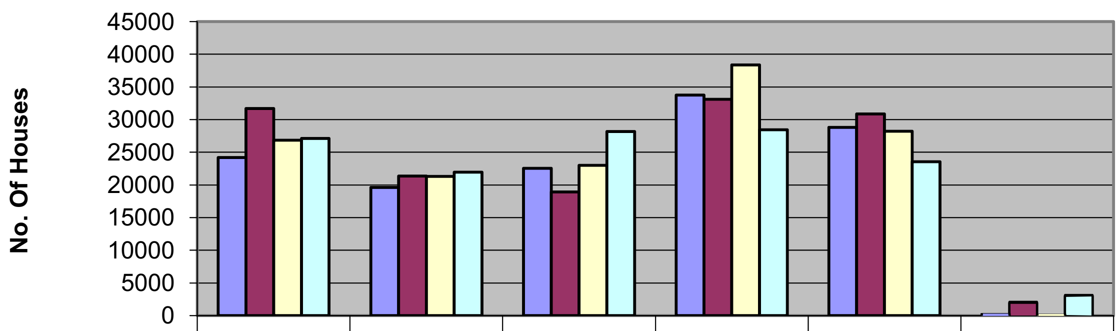

	92-97	97-02	02-07	07-12	12-17	17-22 (*)
Taken Up	24209	19604	22559	33764	28823	1
Completion	31688	21366	18955	33113	32247	1453
Allotment	26843	21301	23014	38383	28422	159
Possession	27109	21929	28149	28428	23953	2131

Five Year Plans

*** Up to December-2018**

12.5 मण्डल की स्थापना से लेकर दिसम्बर 2018 तक मण्डल की मुख्य गतिविधियों का ग्राफ

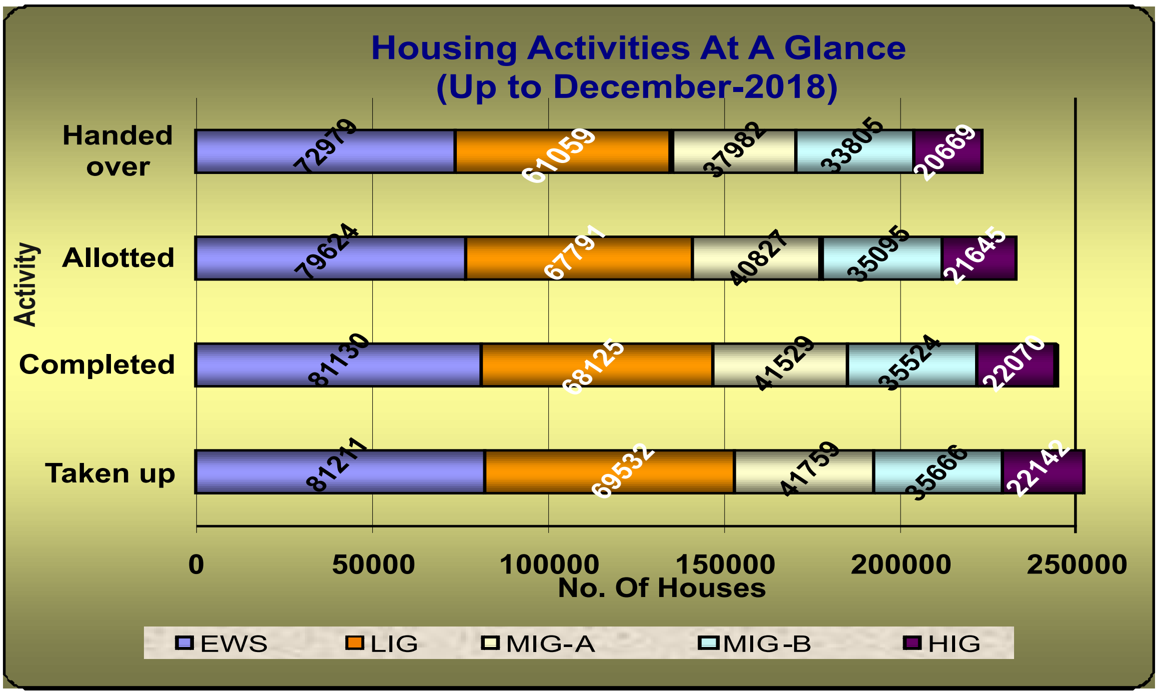

12.6 मण्डल की स्थापना से लेकर दिसम्बर 2018 तक आय वर्गानुसार आवास निर्माण प्रारम्भ करने का प्रतिशतवार विवरण

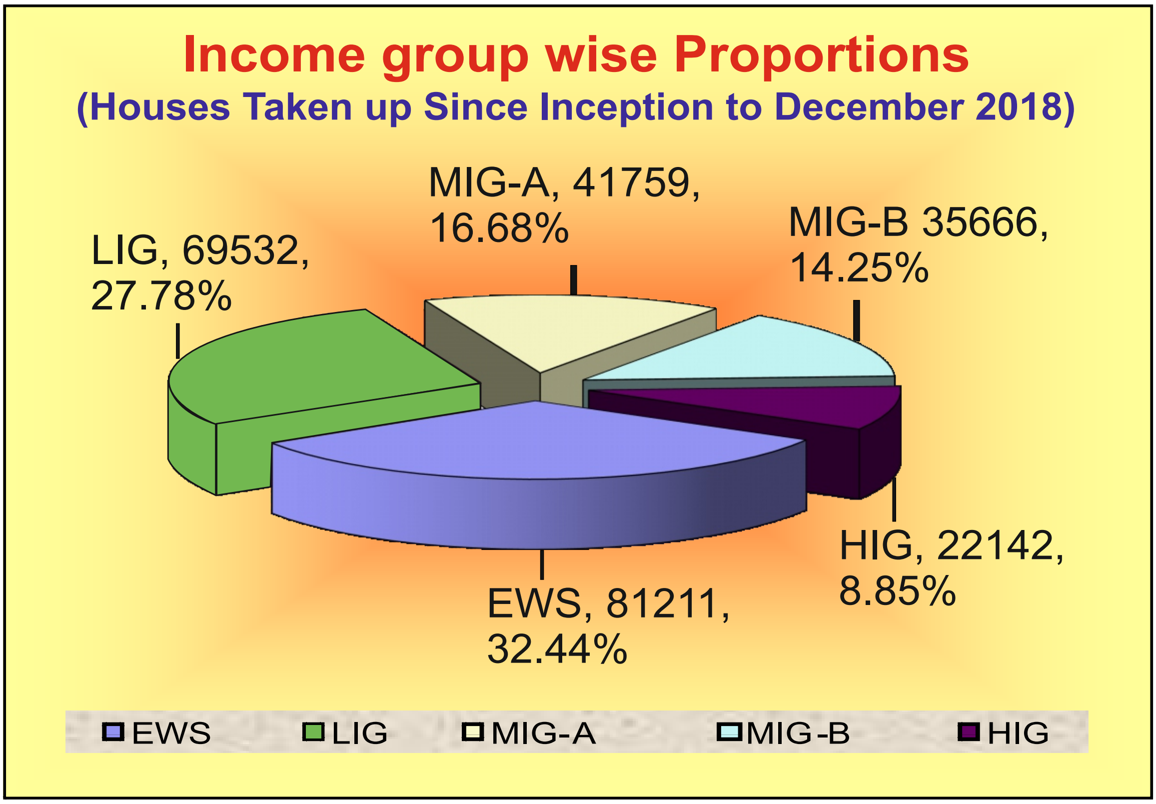

13. **अभिनव प्रयोग एवं नवाचार :–**

- **आवासों की लागत में कमी–** राज्य सरकार के निर्देशानुसार मण्डल द्वारा सभी आय वर्गो के आवासों की लागत निर्धारण सिद्धान्तों में कमी हेतु गठित समिति की अनुशंसा अनुसार कार्यालय आदेश क्रमांक प 2(3)लागत/1017/1097 दिनांक 23.12.2015 द्वारा लागत सिद्धान्तों व प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। जिसके फलस्वरूप आवासों की लागत में लगभग 10 प्रतिशत तक कमी हुई है।
- **ई डब्लयू एस/एल आई जी आवासों की लागत में कमी** ई डब्लयू एस/एल आई जी आवासों की लागत में कमी हेतु भूमि एवं विकास दर में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग हेतु मध्यम आय वर्ग ''ब'' व उच्च आय वर्ग से क्रॉस सब्सिडी को बढाकर क्रमशः 5 से 10 एवं 10 से 20 प्रतिशत कर दिया गया हैं। आवासन मण्डल द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग तथा अल्प आय वर्ग के आवेदकों को किराया क्रय पद्धति पर आवंटित आवासों के लिए आवास का कब्जा सुपुर्द करने तक जमा कराई जाने वाली राशि को 15 प्रतिशत कर दिया गया है साथ ही इन दोनों वर्गों के लिए आवास की किश्तें चुकाने की अवधि को 15 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दिया गया है।
- **पहचान के प्रमाण (KYC) :–** आवास आवंटन हेतु पूर्व पंजीकृत आवेदकों के लिये पहचान हेतु वांछित दस्तावेज अनिवार्य है। विभिन्न बैंक एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा उपभोक्ता की पहचान के लिये लागू के.वाई.सी. (KYC) नियमों को मण्डल में भी लागू किया जा चुका है। इसके अन्तर्गत सभी आवंटियों/आवेदकों को पहचान/पते के सबूत एवं नवीनतम फोटोग्राफ देने की अनिवार्यता कर दी गई है ।
- **पंजीकरण प्रपत्र का सरलीकरणः–** आवासों/फलेटों के पंजीकरण हेतु पंजीकरण प्रपत्र को सरलीकृत कर दिया गया है इसके अन्तर्गत लॉटरी के पश्चात योग्य आवेदकों से ही आय प्रमाणपत्र, पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र आदि प्रपत्र लिये जाते है। पूर्व में ये सभी प्रपत्र नई योजना मे पंजीकरण हेतु भाग लेने वाले सभी आवेदको से लिये जाते थे।
- **आवास के कब्जा पत्र के साथ ही अदेय प्रमाण पत्र :–**आवंटियों की सुविधा हेतु मण्डल द्वारा नगद भुगतान पद्धति, स्ववित्त पोषित योजना तथा नीलामी से निस्तारित सभी सम्पत्तियों के अदेय प्रमाण पत्र कब्जा पत्र के साथ ही जारी किया जाता है।
- **मण्डल द्वारा पूर्ण निर्मित आवास :–**मण्डल आवासीय योजनाओं में प्लिंथ लेवल/ढाँचागत आवास निर्मित किये जाने से रहवास दर कम होने को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में मण्डल द्वारा विकसित की जा रही योजनाओं में पूर्ण निर्मित आवास ही उपलब्ध कराए जा रहे है।
- **बहुमंजिली आवासीय योजनाओं में रेजीडेंन्ट वेलफेयर एसोशियसन का गठन :–** बहुमंजिलीय आवासीय योजनाओं में कब्जा देने के उपरान्त रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसायटी का गठन करवाया जाता है जिससे फ्लैटों की सामान्य सुविधाओं का रखरखाव सोसाइटी के माध्यम से सुचारू रूप से किया जा सके।
- **वर्षा जल संरक्षण हेतु प्रयास :–**प्रदेश की भीषण जल समस्या को दृष्टिगत रखते हुये आवासन मण्डल की बहुमंजिली आवासीय योजनाओं, वाणिज्यिक केन्द्रो, सामुदायिक भवनों,

कार्यालयों एवं अन्य भवनों में ''वर्षा जल संरक्षण संरचना'' विकसित करना प्रारम्भ कर दिया है।

- **बिल्डिंग स्पेसिफिकेशन का स्टैन्डर्डाईजेशन :–** उचित मानदण्ड, उच्च गुणवत्ता एवं निर्माण में एकरूपता रखने के उद्देश्य से बिल्डिंग स्पेसिफिकेशन का स्टैन्डर्डाईजेशन करते हुए बुकलेट जारी की गई है।
- **आगन्तुक सुझाव पुस्तिका :–**आम व्यक्ति, आवंटी तथा निर्माण विशेषज्ञ निर्माणाधीन कार्यो का अवलोकन करने हेतु स्वतंत्र हैं। कार्य के सम्बन्ध में अपने सुझावों एवं विचारों को रखने हेतु सुझाव पुस्तिका प्रत्येक निर्माण स्थल पर उपलब्ध कराई गई है। उचित एवं व्यावहारिक पाये गये सुझावों को निर्माणाधीन एवं भावी योजनाओं में यथा सम्भव समावेश करने का प्रयास किया जा रहा है।
- **सामुदायिक केन्द्रों के संचालन हेतु नियमावली का पुनः सरलीकरण :–**विभिन्न शहरों में मण्डल की आवासीय योजनाओं में निर्मित सामुदायिक केन्द्रो के संचालन हेतु सम पारदर्शी प्रक्रिया/नियमावली का सरलीकरण किया गया है।
- **आवंटियों/आवेदकों की सुविधा के लिये पंजीकरण कार्य, रिफण्ड कार्य अब बैंकों के माध्यम से भी किया जाने लगा है।**
- **पूर्ण एकीकृत कम्प्यूटराईजेशन :–** राजस्थान आवासन मण्डल की समस्त गतिविधियों के व्यापक कम्पयूटराईजेशन हेतु राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लि. (RISL) के साथ आवासन मण्डल द्वारा रू 948.64 लाख का मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टेंडिंग (MOU) हस्ताक्षरित किया गया । इसके अन्तर्गत आर.आई.एस.एल द्वारा Rajasthan Housing Board Monitoring system (RHBMS) परियोजना के तहत M/S IL&FS Pvt. Ltd. को राशि रू 714.11 लाख का कार्यादेश जारी किया गया। वर्तमान मे नई आवासीय योजनाओं के पंजीकरण का कार्य तथा जयपुर, जोधपुर, स्थित सभी वृत्त कार्यालयों, वृत्त बीकानेर, अलवर स्थित कार्यालयों में राशि संग्रहण का कार्य ऑनलाईन कर दिया गया है, शेष वृत्त कार्यालयों में यह कार्य प्रगति पर है। जयपुर स्थित आवासीय योजनाओं यथा इन्दिरा गॉधी नगर, प्रताप नगर व मानसरोवर की योजनाओं के आवंटियों के खातों का संकलन, अदेय प्रमाण पत्र तथा प्रदेश में वरीयता एंव आवास आवंटन लॉटरी करने के कार्यों का कम्प्यूटराईजेशन किया जा चुका है। वित्त एवं बजट सम्बन्धित कार्य, प्रोजेक्ट मोनेटरिंग तथा सम्पत्तियों के लेखो के कम्पयूटरीकरण का कार्य प्रगति पर है। मण्डल की समस्त गतिविधियों के कम्पयूटराईजेशन किये जाने हेतु RISL के माध्यम से IL&LS Ltd. को दिये कार्यादेशानुसार उक्त कार्य मार्च 2019 तक सॉफटवेयर डवलपमेन्ट का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने से मण्डल के लगभग दो लाख से अधिक आवंटी प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से लाभान्वित होंगे।
- आवासन मण्डल की योजनाओं हेतु आवेदकों की अस्थायी एंव स्थाई सूचि, वरियता/आवास आवंटन लॉटरी के पश्चात सफल आवेदकों/आवंटियों की सूची को मण्डल की वेबसाईट पर प्रदर्शित कर दिया जाता है।
- आवासन मण्डल के संशोधित कार्यालय आदेश क्रमांक मुअ–मु/राआम/2018/10 दिनांक

22.01.2018 द्वारा मण्डल की निविदा पक्रिया में पारदर्शिता बढाने की दृष्टि से ई–टेन्डरिंग पद्धति से निविदा आमन्त्रण की पूर्व निर्धारित सीमा रू 10.00 लाख एंव इससे अधिक को संशोधित कर एतद्द्वारा रू 5.00 लाख एंव इससे अधिक किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 22.01.2018 से प्रभावी है। संबधित निविदाएॅ राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) के E-Procurement Portal के माध्यम से की जा रही है तथा राज्य सरकार के आदेशानुसार मण्डल द्वारा रू 1.00 लाख से अधिक की निविदा की सूचना भी राज्य सरकार के पोर्टल SPPP पर अपलोड की जा रही है।

- स्ववित्त पोषित योजना के तहत आवासों के निर्माण बाबत जारी की जाने वाली पंजीकरण पुस्तिका में वर्णित लागत में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर आवंटी द्वारा यदि आवास निरस्त कराया जाता है तो सम्पूर्ण जमा राशि बिना कटौती 6 प्रतिशत ब्याज जोडते हुए आवंटी को लौटाये जाने का प्रावधान किया गया है।
- आवासन मण्डल की आवासीय योजना में उपलब्ध 4000.00 वर्गमीटर से अधिक की सम्पूर्ण भूमि (आवासीय, व्यावसायिक, संस्थानिक) का विवरण मण्डल की वेबसाईट तथा गूगल मैप पर अपलोड कर दिया गया है। इसे आवासन मण्डल की वेबसाईट पर उपलब्ध Resurgent Rajasthan के Icon पर क्लिक कर देखा जा सकता है।

14. मण्डल की महत्त्वपूर्ण योजनाएँ –

14.1 मानसरोवर, जयपुर

जयपुर शहर में आवास हेतु वर्ष 1979 के पंजीकृत आवेदकों के लिए मानसरोवर योजना विकसित की गयी थी। इस योजना में दिसम्बर 2018 तक विभिन्न श्रेणी के 27930 आवासों का निर्माण प्रारम्भ किया गया था जिसमें से 27834 आवासों का निर्माण पूर्ण कर 27257 आवास आवंटियों को हस्तांतरित किये जा चुके हैं।

- **रामकृष्ण अपार्टमेन्ट :** शिप्रा पथ मानसरोवर में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग ''ब'' के कुल 180 फ्लैट्स (स्टिल्ट+9) का निर्माण कर 180 फ्लैट्स का आवंटन कर 178 फ्लैट्स के कब्जे दिये जा चुके हैं।
- **द्वारका अपार्टमेन्ट :** पूर्व पंजीकृत आवेदकों हेतु द्वारका पथ मानसरोवर में मध्यम आय वर्ग ''ब'' के 324 फ्लैट्स (स्टिल्ट+9) का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया था जिसमें से कुल 222 फ्लैट्स का आवंटन कर 73 फ्लैट्स के कब्जे दिये जा चुके हैं।
- **अरावली अपार्टमेन्ट :** पूर्व पंजीकृत आवेदकों हेतु स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत न्यू सांगानेर रोड, सेक्टर–8 में उच्च आय वर्ग के 104 फ्लैट्स (बेसमेन्ट+स्टिल्ट+13) फ्लैट्स का निर्माण कार्य प्रगति पूर्ण हो चुका है तथा 47 फ्लैट्स का आवंटन किया जाकर 10 फ्लैट्स का कब्जा संबधित आवंटियों को दिया जा चुका है।
- **द्वारका रेजीडेन्सी :** स्ववित्त पोषित योजना 2012 एवं 2014 के अन्तर्गत द्वारका पथ पर 189 (B+S+12) फ्लैट्स नियोजित किये जाकर 96 फ्लैट्स का निर्माण कार्य मार्च 2015 में प्रारम्भ किया गया, इन फ्लैट्स का निर्माण पूर्ण किया जाकर 85 फ्लैट्स का आवंटन किया जा चुका है। शेष 93 आवासों के निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

- **द्वारका टिव्न्स :** द्वारका पथ पर पूर्व पंजीकृत लम्बित आवेदकों हेतु उच्च आय वर्ग के 72 (B+S+9) फ्लैट्स का निर्माण पूर्ण किया जाकर 31 फ्लैट्स का आवंटन किया जा चुका है जिनमें से 6 फ्लैट्स के कब्जे संबधित आवंटियों को दिये जा चुके है। शेष फ्लैट्स के कब्जे दिये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

14.2 इंदिरा गांधी नगर योजना, जगतपुरा, जयपुर

मण्डल द्वारा विकसित की गयी इंदिरा गाधी नगर योजना में विभिन्न आय वर्ग के कुल 8999 आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 8999 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया है। योजना में कुल 8806 आवासों का आवंटन कर 8003 आवासों का भौतिक कब्जा आवंटियों को संभलवाया जा चुका है।

- **कंचनजंघा अपार्टमेंट**

  इन्दिरा गांधी नगर योजना में मध्यम आय वर्ग 'ब' (बी+एस+9) के 360 फ्लेट्स हेतु स्ववित्त पोषित योजना – 2012 के तहत दिनांक 14.12.2012 से 21.01.2013 तक पंजीकरण किया गया था। योजना के सेक्टर–8 में निर्मित किये गये इन फ्लेट्स में से माह दिसम्बर 2018 तक 227 फ्लेट्स का कब्जा आवंटियों को दिया जा चुका है।

- **मध्यम आय वर्ग 'अ' (जी+3) 208 फ्लेट्स का निर्माण कार्य।**

  मध्यम आय वर्ग 'अ' के 208 फ्लेट्स हेतु पंजीकरण दिनांक 19.12.2014 से 18.01.2015 तक किया गया था :–

  - इस योजना के तहत सेक्टर–04 (शिवालिक अपार्टमेंट) में 24 फ्लेट्स का निर्माण कार्य किया जा चुका है तथा माह दिसम्बर 2018 तक 12 फ्लेट्स का कब्जा दिया जा चुका है, शेष के कब्जे दिये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।
  - सेक्टर–05 (नीलकंठ अपार्टमेंट) में 24 फ्लेट्स का निर्माण कार्य किया जा चुका है जिनका आवंटन कर कब्जे दिये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।
  - सेक्टर–07 (रत्नागिरी अपार्टमेंट) में 160 फ्लेट्स का निर्माण कार्य पूर्ण कर आवंटन पत्र जारी कर दिये गये हैं। कब्जे दिये जाने का कार्य प्रगति पर है।
  - **अल्प आय वर्ग (जी+3) के 144 फ्लेट्स का निर्माण कार्य।**

    अल्प आय वर्ग (जी+3) के 144 फ्लेट्स हेतु पंजीकरण योजना दिनांक 19.12.2014 से 18.01.2015 तक प्रारम्भ की गई थी। इन फ्लेट्स का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। योजना में बाह्य विकास कार्य प्रगति पर है।

14.3 प्रताप नगर, सांगानेर /महला (जयपुर)

प्रताप नगर सांगानेर/महला (जयपुर) में दिसम्बर 2018 तक 36965 आवासों/फ्लैटो का निर्माण प्रारम्भ कर 35653 आवास/फ्लैट पूर्ण किये गये है। इनमें से 31354 का भौतिक कब्जा आवंटियों को सौपा जा चुका है एवं वर्तमान में प्रतापनगर सांगानेर योजना में विभिन्न आय वर्ग के 1312 फ्लैटो का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

- **राज आंगन :** अप्रवासी भारतीय/अप्रवासी राजस्थानियों के लिए एक विशिष्ट गृह योजना सैक्टर–24 में मण्डल द्वारा वर्ष 2000 में आरम्भ की गई थी जिसमें 303 विभिन्न श्रेणी के आवासों की टाउनशिप विकसित की गयी। यह योजना 57 हैक्टेयर्स में फैली हुई है। इस योजना के चारों तरफ 18 मीटर चौड़ी घनी हरित पट्टी विकसित की गयी। योजनान्तर्गत 303 आवास नियोजित किये गये थे जिसमें से 301 पंजीकरण के विरूद्ध 293 आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 293 आवास पूर्ण किये जाकर 291 आवासों का कब्जा आवंटियों को सौपा जा चुका है।
- **'प्रताप एन्क्लेव' योजना :** राज आंगन परियोजना में राज्य के स्थानीय आवेदकों के रूझान को देखते हुए उच्च आय वर्ग के आवेदकों के लिए स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत 240 विशिष्ट मापदण्डों के आधुनिक ड्यूप्लेक्स आवासों की एक अन्य योजना 'तक्षक' का शुभारम्भ सेक्टर–25 में 16 फरवरी, 2005 को किया गया था, जिसका नाम परिवर्तित कर 'प्रताप एन्क्लेव' योजना कर दिया गया है। इस योजना में कुल 216 आवेदकों द्वारा पंजीकरण करवाया गया है। इनमें से प्रथम चरण व द्वितीय चरण में कुल 216 ड्यूप्लेक्स आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर 216 आवासों का कब्जा आवंटियों को सौंपा जा चुका है। योजना में निर्मित सभी आवास उच्च आय वर्ग डुप्लेक्स श्रेणी के बनाये गये हैं।
- **प्रताप अपार्टमेंट :** समूह बहुमंजिली आवासीय योजना (S+10) सांगानेर में वीरांगना विहार योजना सहित लम्बित पंजीकृत आवेदकों हेतु सेक्टर–29 में स्ववित्त पोषित/पंजीकरण योजनान्तर्गत अल्प आय वर्ग के 660, मध्यम आय वर्ग 'अ' के 300, मध्यम आय वर्ग 'ब' के 220 एवं उच्च आय वर्ग के 200 फ्लैट्स कुल 1380 फ्लेट्स का निर्माण किया गया है। इनमें से 1380 फ्लैट्स का निर्माण कार्य पूर्ण कर 1308 फ्लैट्स का आवंटन किया जा चुका है। इसी योजना में वीरांगनाओं को अल्प आय वर्ग के 144 एवं मध्यम आय वर्ग अ के 63 कुल 207 फ्लैट्स का आवंटन किया जा चुका है। इस योजना में 913 फ्लैट्स का कब्जा आवंटियों को सौपा जा चुका है।
- **मेवाड़ अपार्टमेंट :** समूह बहुमंजिली आवासीय योजना (S+9) जयपुर के प्रतापनगर के सैक्टर–15 में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत उच्च आय वर्ग के 352 फ्लैट्स का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 342 फ्लैट्स को आवंटित कर 312 फ्लैट्स का कब्जा दे दिया गया है।
- **कृष्णा अपार्टमेन्ट :** सैक्टर–28 में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के लिये 1024 (G+3) के आवास नियोजित किये गये है। सभी आवासों का निर्माण पूर्ण कर 1020 का आवंटन कर दिया गया है एवं 967 फ्लैट्स का कब्जा आवंटियों को सौपा जा चुका है।
- **चिनाब अपार्टमेन्ट :** सेक्टर–28 में समूह आवासीय योजना में मध्यम आय वर्ग (अ) के (G+3) मंजिल 880 फ्लेटों का कार्य पूर्ण कर 836 का आवंटन कर दिया गया है एवं 695 फ्लैट्स का कब्जा आवंटियों को सौपा जा चुका है।
- **अलकनन्दा अपार्टमेन्ट :** समूह आवासीय योजना के अन्तर्गत अल्प आय वर्ग के प्रतीक्षारत समान्य पंजीकृत योजना के आवेदकों हेतु सेक्टर–9, प्रताप नगर में (G+3) मंजिले 272

फ्लेटों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इनमें से 266 फ्लैटो का कब्जा आवंटियों को दिया जा चुका है।

- **रावी अपार्टमेन्ट :** सेक्टर–28 में समूह आवासीय योजना के अन्तर्गत अल्प आय वर्ग के सामान्य पंजीकरण योजना के प्रतीक्षारत आवेदकों हेतु 272 (G+3) फ्लेटों का निर्माण कार्य किया गया था। इनमें से 272 फ्लैट्स का आवंटन कर 260 फ्लैट्स का कब्जा आवंटियों को दिया जा चुका है।
- **सतलुज अपार्टमेन्ट :** सैक्टर 28 में अल्प आय वर्ग के लिये 416 (G+3) फ्लैट्स नियोजित किये गये है, सभी फ्लैट्स का निर्माण कार्य पूर्ण कर 388 फ्लैटों का आवंटन किया जा चुका है। इनमें से 321 फ्लैट्स का कब्जा दिया जा चुका है।
- **व्यास अपार्टमेन्ट :–**सैक्टर–11 में मध्यम आय वर्ग ''ब''(G+2) के 108, मध्यम आय वर्ग–ब (B+S+10) के 160 एवं उच्च आय वर्ग (G+2) के 96 फ्लैट्स कुल 364 फ्लैटस का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 364 फ्लैट्स पूर्ण किये जा चुके है। इनमें से 309 फ्लैट्स का आवंटन कर मध्यम आय वर्ग–ब (G+2) के 106 फ्लैट्स का कब्जा दिया जा चुका है। उच्च आय वर्ग (G+2) के 96 फ्लैट्स का कार्य पूर्ण हो चुका है। इनमें से 75 फ्लैटो का आवंटन कर 56 फ्लैटो का कब्जा दिया जा चुका है। मध्यम आय वर्ग–ब (B+S+10) के 160 फ्लैटों में सें 126 फ्लैट आवंटित कर 122 फ्लैटस् का कब्जा दिया जा चुका हैं।
- **बनास अपार्टमेन्ट,** सैक्टर–26 में स्ववित्त पोषित योजना के तहत (S+10) उच्च आय वर्ग के 80 फ्लैट्स का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया है। इनमें से 78 फ्लैट्स का आवंटन कर 70 फ्लैट्स का कब्जा दिया जा चुका है।
- **सरयू अपार्टमेन्ट,** सैक्टर–26 में स्ववित्त पोषित योजना के तहत (S+10) उच्च आय वर्ग के 80 फ्लैट्स का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया है। इनमें से 71 फ्लैट्स का आवंटन कर 64 फ्लैट का कब्जा दिया जा चुका है।
- **गंगा अपार्टमेन्ट,** सैक्टर–26 जोन 263 में स्ववित्त पोषित योजना के तहत (B+S+10) उच्च आय वर्ग के 80 फ्लैट्स का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। जिसमें से 44 फ्लैट्स का आवंटन कर 08 फ्लैट का कब्जा दिया जा चुका है।
- **सरस्वती अपार्टमेन्टः–** सेक्टर–18 में मुख्य कुम्भा मार्ग पर मध्यम आय वर्ग–ब के (S+6) के 240 फ्लैट्स नियोजित है, इनमें से 240 फ्लैट्स का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका हैं। इनमें से 204 फ्लैट्स का कब्जा दिया जा चुका है।
- **गोमती अपार्टमेन्टः–**सेक्टर–18 में मध्यम आय वर्ग–अ के (S+11) के 440 फ्लैटो का नियोजन कर पंजीकरण आमंत्रित कर कुल 396 फ्लैटों का निर्माण किया गया है, जिसमें से 396 फ्लैट पूर्ण कर 259 फ्लैट्स का कब्जा दिया जा चुका हैं।
- **झेलम अपार्टमेन्टः–** सेक्टर–28 में मध्यम आय वर्ग –अ के 160 (G+3) फ्लैट्स व मध्यम आय वर्ग –ब के 192 कुल 352 फ्लैट्स (G+3) का नियोजन किया गया था, जिसमें से मध्यम आय वर्ग–अ के 160 फ्लैट्स व मध्यम आय वर्ग–ब के 192 फ्लैट्स का निर्माण पूर्ण कर

मध्यम आय वर्ग–अ के 121 फ्लैट्स व मध्यम आय वर्ग–ब के 175 फ्लैट्स का भौतिक कब्जा आवंटियों को दिया जा चुका है शेष के कब्जे दिये जाने की प्रक्रिया जारी है।

- **गोदावरी अपार्टमेन्टः–** सेक्टर–29 में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (G+3) के 416, अल्प आय वर्ग के (G+3) के 368 व मध्यम आय वर्ग –अ के (G+3) 160, कुल 944 फ्लैट्स का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। कमजोर आय वर्ग के 319 फ्लैट्स, अल्प आय वर्ग के 322 फ्लैट्स व मध्यम आय वर्ग–अ के 135 फ्लैट्स का भौतिक कब्जा आवंटियों को सम्भलवाया जा चुका है, शेष फ्लेट्स का भौतिक कब्जा दिये जाने की प्रक्रिया जारी है।
- **नर्मदा अपार्टमेन्टः–** प्रताप नगर आवासीय योजना के सेक्टर–8 में चेतक मार्ग पर स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग–ब (B+S+11) के 88 फ्लैट्स का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। 87 फ्लैट्स का आवंटन कर 73 फ्लैटों का कब्जा दिया जा चुका हैं।
- **साबरमती अपार्टमेन्टः–** प्रताप नगर आवासीय योजना के सेक्टर–17 में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग–अ (S+9) के 72 फ्लैट्स का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 53 फ्लैटो का आवंटन कर 50 फ्लैटों कब्जा दिया जा चुका हैं।
- **द्वारकापुरी आवासीय योजनाः–** प्रताप नगर आवासीय योजना के सेक्टर–26 में वर्ष 2005 एवं 2007 में अल्प आय वर्ग के लिये विशिष्ट पंजीकरण योजना द्वारकापुरी (जी+7) के 2976 फ्लैट्स नियोजित किये गये थे। जिसमें से 2976 फ्लैटों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 1674 फ्लैटों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 1980 फ्लैटों का आवंटन कर 851 फ्लैटों का कब्जा दिया जा चुका है। मूल संवेदक द्वारा शेष फ्लैटों का निर्माण कार्य नही करने पर राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर अधूरे छोडे गये फ्लैटस का निर्माण कार्य पूर्ण करवाये जाने बाबत कार्यादेश दिनांक 05.10.2018 को जारी किये जा चुके है।
- **महला आवासीय योजनाः–** जयपुर वृत प्रथम के अधीन आवासन मण्डल द्वारा प्रारम्भ की गई महला आवासीय योजना का क्षेत्रफल लगभग 70.44 हैक्टेयर (279.00 बीघा) है। इस योजना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 336 फ्लैट, अल्प आय वर्ग के 1440 फ्लैट एवं मध्यम आय वर्ग–अ के 272 फ्लैट कुल 2048 फ्लैट (G+3) टाईप के फ्लैट्स बनाये जाने है। इसमें से प्रथम चरण में दिनांक 28.02.2014 से 31.03.2014 तक अल्प आय वर्ग के 416 फ्लैट्स (G+3) हेतु योजना प्रारम्भ की गई थी, जिसके लिये 1801 आवेदकों द्वारा आवेदन किया गया था। इस योजना के द्वितीय चरण में दिनांक 23.06.2014 से 22.07.2014 तक आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 112 फ्लेट्स हेतु एवं मध्यम आय वर्ग ''अ'' के 128 (G+3) टाईप के फ्लैट हेतु योजना प्रारम्भ की गई थी, जिनके लिये क्रमशः आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 2083 आवेदकों ने एवं मध्यम आय वर्ग ''अ'' के 160 आवेदकों द्वारा आवेदन किया गया था। इस योजना के तृतीय चरण में अल्प आय वर्ग के 928 फ्लेट्स हेतु योजना प्रारम्भ की गई थी।

महला आवासीय योजना में निर्मित फ्लैटों की वस्तुस्थिति का विवरणः—

Category	Planned	Taken up	Completion	Allotted
EWS	336	112	112	101
LIG	1440	1344	1344	1217
MIG-A	272	128	128	102
Total	2048	1584	1584	1420

महला आवासीय योजना में विकास कार्य —सीवर लाइन, पानी की लाइन, सडक इत्यादि का कार्य प्रगति पर है। 1420 फ्लेटों का आवंटन पत्र जारी किया जाना प्रस्तावित है।

14.4 जोधपुर

- **चौपासनी योजना,जोधपुर**

चौपासनी आवासीय योजना में माह दिसम्बर 2018 के अन्त तक 13795 आवासों आवासों/फ्लैटो का निर्माण प्रारम्भ कर कुल 13795 आवासों/फ्लैटो का निर्माण पूर्ण किया गया तथा 13716 आवासों/फ्लैटो का आवंटन आवेदकों को कर दिया गया है तथा कुल 13620 आवासों/फ्लैटो का भौतिक कब्जा आवेदकों को सुपूर्द कर दिया गया है।

- **<u>कुड़ी भगतासनी योजना,जोधपुर</u>**

कुड़ी भगतासनी आवासीय योजना में माह दिसम्बर 2018 के अन्त तक 15805 आवासों/फ्लैटों का निर्माण प्रारम्भ कर कुल 15805 आवासों/फ्लैटो का निर्माण पूर्ण किया गया तथा 15419 आवासों/फ्लैटो का आवंटन आवेदकों का कर दिया गया है तथा कुल 13069 आवासों/फ्लैटो का भौतिक कब्जा आवेदकों को सुपुर्द कर दिया गया है।

- **विवेक विहार योजना,जोधपुर**

विवेक विहार योजना,जोधपुर में माह दिसम्बर 2018 के अन्त तक 1936 फ्लेटौं का निर्माण प्रारम्भ कर कुल 1936 फ्लैटो का निर्माण पूर्ण किया गया तथा 1813 फ्लैटो का आवंटन आवेदकों का कर दिया गया है तथा कुल 362 फ्लैटो का भौतिक कब्जा आवेदकों को सुपुर्द कर दिया गया है।

- **बड़ली आवासीय योजना,जोधपुर :**

मण्डल की आवासीय योजनाओ के लिए भूमि आवंटन के लिए जिला कलेक्टर जोधपुर को सचिव राजस्थान आवासन मण्डल के द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 1693 दिनांक 20.04.2006 के द्वारा निवेदन किया गया तथा अन्य विविध पत्रो द्वारा सिवाय चक राजकीय भूमि आवंटन के लिए निवेदन किया गया। इस क्रम में दिनांक 21.07.2008 को प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में तत्कालीन नगर विकास न्यास जोधपुर ग्राम बडली के खसरा संख्या 88 में 1100 बीघा भूमि राजस्थान आवासन मण्डल को आवंटित किये जाने का निर्णय किया गया। उक्त आवंटित भूमि में से 990 बीघा भूमि का कब्जा दिनांक 25.06.2009 को राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत् दिनांक 27.11.2015 को पीपीपी मोड पर आर्थिक दृष्टि से

कमजोर आय वर्ग तथा अल्प आय वर्ग के फलैटों के निर्माण हेतु EOI जारी की गयी। परन्तु इस योजना में किसी भी निविदादाता (Bidder) द्वारा अभिरूचि व्यक्त नही की गयी। पुनः NIB का प्रकाशन दिनांक 28.04.2018 को किया गया, योजना में बिड प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि तक किसी भी डवलपर / बिडर द्वारा बिड प्रस्तुत नही की गयी।

14.5 भिवाड़ी (अलवर)

भिवाडी शहर में माह दिसम्बर 2018 तक 6103 आवास / फ्लैट्स का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है, जिसमें से 5893 आवास / फ्लैट्स का का आवंटन कर 5127 आवास / फ्लैट्स के कब्जे आवंटियो को सुपूर्द किये जा चुके है।

14.6 उदयपुर

- **उदयपुर शहर** में माह दिसम्बर 2018 तक कुल 9869 आवासो / फ्लैटों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 9869 आवासो / फ्लैटों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया एवं 9855 आवासो / फ्लैटों का आवंटन कर 9801 आवासो / फ्लैटों के भौतिक कब्जे आवंटियो को सुपूर्द किये जा चुके है।
- **भीलवाडा** में माह दिसम्बर तक कुल 7530 आवासो का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 7530 आवासो का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया एवं 7424 आवासो का आवंटन कर 6787 आवासो के भौतिक कब्जे आवंटियो को सुपूर्द किये जा चुके है।
- **चित्तोडगढ** में माह दिसम्बर 2018 तक कुल 2050 आवासो का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 2050 आवासो का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया एवं 2050 आवासो का आवंटन कर 2007 आवासो के भौतिक कब्जे आवंटियो को सुपूर्द किये जा चुके है।
- **बांसवाडा शहर** में माह दिसम्बर 2018 तक कुल 2861 आवासो का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 2860 आवासो का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया एवं 2854 आवासो का आवंटन कर 2841 आवासो के भौतिक कब्जे आवंटियो को सुपूर्द किये जा चुके है।
- **डूंगरपुर शहर** में माह दिसम्बर 2018 तक कुल 2282 आवासो का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 2282 आवासो का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया एवं 2263 आवासो का आवंटन कर 2251 आवासो के भौतिक कब्जे आवंटियो को सुपूर्द किये जा चुके है।

14.7 कोटा

कोटा वृत्त के अधीन चार जिलों कोटा, बूंदी, झालावाड तथा बारां में विभिन्न स्थानों पर मण्डल द्वारा आवासीय कॉलोनियों का निर्माण किया गया है। इन कॉलोनियों में विभिन्न आय वर्ग के कुल 30693 आवासो / फ्लैटों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा कर कुल 30546 आवासो / फ्लैटों का निर्माण पूर्ण किया गया है।

कोटा शहर में मण्डल द्वारा अब तक 23478 आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा कर 23454 आवासो / फ्लैटों का आवंटन किया गया एंव 23401 आवासो / फ्लैटों का कब्जा माह दिसम्बर 2018 तक कर दिया जा चुका है। वर्तमान में कोटा शहर में कुल 203 पंजीकृत

आवेदक आवासो/फ्लैटों के आवंटन हेतु प्रतीक्षारत है। कोटा शहर हेतु ग्राम रामपुरिया की कुल 2800 बीघा राजकीय सिवायचक भूमि के आवंटन का प्रस्ताव जिला कलेक्टर भूमि की अनुशंसा के साथ राज्य सरकार को प्रेषित किया हुआ है, राज्य सरकार के स्तर से शीघ्र ही आवंटन अपेक्षित है।

कोटा वृत्त के अधीन महत्वपूर्ण योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है–

- **कुन्हाडी आवासीय योजना कोटा –** कुंन्हाडी योजना में अब तक विभिन्न आय वर्ग के 427 आवासों का निर्माण किया जाकर आवंटन किया जा चुका है। द्वारकापुरी योजना में भी अल्प आय वर्ग के 120 (G+3) फ्लैट्स का निर्माण किया जाकर आवंटन किया जा चुका है तथा अब तक 117 आवंटियों को कब्जे दिये जा चुके है। वर्तमान में ग्रुप हाउसिंग के MIG-B (S+6) 24 फ्लैटों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाकर 17 योग्य आवेदकों को फ्लेट्स आवंटित कर दिये गये है तथा अब तक 9 फ्लेट्स के कब्जे दिये जा चुके है।
- **स्वामी विवेकानन्द योजना कोटा** – इस योजना में अब तक विभिन्न आय वर्ग के 2612 आवासों का निर्माण किया जाकर आवंटन किया जा चुका है तथा 2607 आवासों के कब्जे दिये जा चुके है।
- **झालावाड़ आवासीय योजना** – झालावाड़ आवासीय योजना में कुल 530 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाकर 526 आवासों का आवंटन अब तक किया जा चुका है तथा 494 आवासों के कब्जे दिये जा चुके है।

14.8 बीकानेर

बीकानेर शहर मे आवासन मण्डल द्वारा माह दिसम्बर 2018 तक दो योजनाओं यथा पवनपुरी एंव मुक्ताप्रसाद नगर विकसित की गयी है जिनमें से पवनपुरी योजना में 1583 आवासों का निर्माण पूर्ण किया जाकर आवेदकों को कब्जा दिया जा चुका है। मुक्ताप्रसाद नगर मे 4882 आवासो/फ्लैटों का निर्माण प्रारम्भ किया गया जिनमें से 4862 आवासों/फ्लैटों का निर्माण पूर्ण कर 4599 आवासों/फ्लैटों का कब्जा आवेदकों को दिया जा चुका है। बीकानेर शहर में आवासन मण्डल की एक अन्य महत्वपुर्ण शिवबाडी योजना के अन्तर्गत 579.526 हैक्टेयर भूमि अवाप्ताधीन है, जिसमें से राज्य सरकार द्वारा 547.4458 हैक्टयर भूमि का अवार्ड तीन चरणों मे जारी कर दिया गया है, भूमि समझौता समिति की बैठक होना अपेक्षित है।

15 अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी– 2009

राज्य सरकार द्वारा राज्य में अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी–2009 वर्ष 2009 में लागू की गई थी। आवासन मण्डल द्वारा वर्ष 2009–10 से दिसम्बर 2018 तक इस योजना में की गई प्रगति का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	वर्ष	निर्माण प्रारम्भ कराये गये आवासों की संख्या
1	2009–10	8651
2	2010–11	2949
3	2011–12	3872
4	2012–13	8251
5	2013–14	6237
6	2014–15	5787
7	2015–16	3089
8	2016–17	16
9	2017–18	0
10	2018–19 (माह दिसम्बर 2018 तक)	0
कुल योग		**38852**

16. राज्य सरकार द्वारा निर्देशित योजनाओं का विवरण

- **मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015**

मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के अन्तर्गत दिनांक 27.11.2015 व 25.02.2016 को महला (जयपुर) हेतु पीपीपी मोड पर आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग हेतु तथा अल्प आय वर्ग के फ्लैटों के निर्माण हेतु EOI जारी की गयी। इसी प्रकार बडली (जोधपुर) हेतु दिनांक 27.11.2015 को पीपीपी मोड पर आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग हेतु तथा अल्प आय वर्ग के फ्लैटों के निर्माण हेतु EOI जारी की गयी। परन्तु उक्त दोनों योजनाओं में किसी भी निविदादाता (Bidder) द्वारा अभिरूचि व्यक्त नही की गयी।

राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा 2018 में प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप मण्डल द्वारा जयपुर, जोधपुर एंव भिवाडी में 9 योजनाओं में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग एंव अल्प आय वर्ग सहित 16000 फ्लैटों का निर्माण निजी जनसहभागिता (PPP) के आधार पर करने हेतु 5 योजनाओं यथा प्रतापनगर, महला, वाटिका (जयपुर) बडली (जोधपुर) तथा अरावली विहार (भिवाडी) हेतु NIB का प्रकाशन दिनांक 28.04.2018 को किया गया तथा 3 योजनाओं हेतु NIB दिनांक 18.07.18 को प्रकाशित की गयी। उक्त योजनाओं में बिड प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि तक किसी भी डवलपर/ बिडर द्वारा बिड प्रस्तुत नही की गयी। फलस्वरूप मण्डल द्वारा जारी उक्त NIB निरस्त कर दी गयी।

- **अर्न्तराष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन सेंटर का निर्माण**

राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अर्न्तराष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन सेंटर का PPP मॉडल पर विकास एवं संधारण करने हेतु मानसरोवर आवासीय योजना जयपुर में वीटी रोड पर लगभग 60,000 वर्गमीटर भूमि चिन्हित की जाकर ईसीआईडी (ECID) की सैद्धान्तिक सहमति के उपरान्त बिड आमंत्रण सूचना दिनांक 18.11.2015 को समाचार पत्रों में प्रकाशित की गयी थी। बिड प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि तक किसी भी बिडर द्वारा बिड प्रस्तुत नही की गयी। माननीय मुख्यमंत्री महोदया के निवास पर आयोजना

विभाग द्वारा दिनांक 12.06.2017 को आयोजित बैठक में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये गये– "It was decided to keep the proposed I.C.C at V.T. Road Mansarovar, Jaipur in abeyance."

- **दस्तकार नगर योजना**

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा ग्राम नायला, जयपुर स्थित दस्तकार नगर योजना में 750 आवासीय इकाई मय कार्यशाला का निर्माण कराया गया था। माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा दिनांक 19.12.2015 को विशिष्ठ पंजीकरण योजना का विमोचन किया गया था। पंजीकरण योजना दिनांक 21.12.2015 से 20.01.2016 तक प्रारम्भ की गई, जिसकी अवधि दिनांक 19.02.2016 तक बढाई गई। इस योजना में 139 आवेदकों द्वारा आवेदन किया गया। प्राप्त आवेदनों में से योग्य पाये गये सभी 90 दस्तकारों को दिनांक 26.05.2016 को आवासीय इकाईयों (मय कार्यशाला) का लॉटरी द्वारा आवंटन किया गया। योजना में शेष रही 660 आवासीय इकाइयों मय कार्यशाला को सामान्य आवेदको हेतु खोले जाने का निर्णय लिये जाने हेतु प्रकरण विचाराधीन है। दस्तकार नगर योजना के 750 आवासीय मय कार्याशाला इकाईयों तथा सड़क निर्माण कार्यो पर लगभग रु. 81.03 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। योजना में विकास कार्यो यथा सडक, पार्क बाउंड्री एंव पौधारोपण के कार्यो पर राशि रू 141.68 लाख व्यय की जा चुकी है। योजना में जलापूर्ति एंव सीवरेज के कार्य प्रगति पर है।

- **स्मार्ट सिटी तर्ज पर योजना**

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा राज्य के जोधपुर एवं उदयपुर शहर में स्मार्ट सिटी की तर्ज पर आवासीय योजनायें (स्मार्ट टाउनशिप) विकसित किये जाने हेतु सिंगापुर कॉ–ऑपरेशन एंटरप्राईजेज एवं राजस्थान आवासन मण्डल के मध्य 19 नवम्बर 2015 को रिसर्जेन्ट राजस्थान के दौरान अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया गया था, जिसके तहत सिंगापुर कॉ–ऑपरेशन एन्टरप्राईजेज (SCE) के माध्यम से शहरी मास्टर–प्लान व वास्तुविदिय डिजाईन के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त की जायेगी।

सिंगापुर कॉ–आपरेशन एन्टरप्राइजेज के प्रतिनिधियों द्वारा जोधपुर स्थित ग्राम केरू की भूमि का निरीक्षण मण्डल अधिकारियों के साथ दिनांक 25.05.2016 को किया गया एंव दिनांक 26.05.2016 को SCE प्रतिनिधिमण्डल के साथ बैठक आयोजित की गई।

अनुबन्ध (MOU) की क्रियान्वति के क्रम में पुनः दिनांक 29.08.2016 को SCE प्रतिनिधि मण्डल के साथ एक बैठक आयोजित की गयी जिसमें Vision document एंव प्रोजेक्ट के समस्त बिन्दुओं को Brief किया गया। SCE द्वारा परियोजना के प्रथम चरण (Stage –I) एंव द्वितीय चरण (Stage –II) हेतु फीस USD 791600.00 की मांग की गयी।

मण्डल प्रशासन द्वारा SCE प्रतिनिधियों को अन्य स्थानों (अमरावती, आन्ध्राप्रदेश एंव प. बंगाल) पर निर्मित की जा रही परियोजनाओं/इकाईयों, के मापदण्डों तथा निर्धारित की गयी शर्तो (Terms & Condition) का विस्तृत विवरण भेजे जाने हेतु कहा गया। दिनांक 09.02.17 एंव 09.06.17 को मण्डल अध्यक्ष एंव SCE प्रतिनिधियों के बीच सम्पन्न हुई बैठकों में उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अपूर्ण होने के कारण उन्हे पुनः समान प्रकृति की परामर्शी

योजनाओं के मापदण्ड, शर्तो एंव देय फीस के तर्कसंगत होने बाबत दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु कहा गया।

- **मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण शिविर 2017**

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना 2017 के तहत राज्य के विभिन्न शहरों में मण्डल द्वारा दिनांक 17.07.17 से दिनांक 08.09.17 तक प्रत्येक वृत्त/स्वतंत्र खण्ड/उप खण्ड कार्यालयों में जन कल्याण शिविर आयोजित किये गये। शिविरों में अदेय प्रमाण पत्र, लीजमुक्ति प्रमाण पत्र, आवासों के आवंटन, कब्जा, रिफण्ड प्रकरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र इत्यादि कार्य किये गये। शहरी जन कल्याण शिविरों के दौरान राज्यभर में 19,329 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें 17238 प्रकरणों का निस्तारण किया जाकर शेष 2091 प्रकरणों का निस्तारण प्रक्रियाधीन है।

वर्ष 2018–19 में की गई बजट घोषणा के अन्तर्गत तथा मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के कार्यक्रम के तहत EWS/LIG/MIG-A/MIG-B में दिनांक 01.01.2001 से पूर्व एवं दिनांक 01.01.2001 के पश्चात् आवंटित आवासों में दिनांक 31.12.2018 तक बकाया मासिक किश्त व लीज राशि एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज व पेनल्टी में शत–प्रतिशत छूट प्रदान की गई।

17. Real Estate Regulatory Authority (RERA)

केन्द्र सरकार के महत्वाकांक्षी RERA Act के तहत राज्य द्वारा लागू (RERA Rule) की अनुपालना में मण्डल द्वारा भी अपने आवंटियों को पारदर्शीता एंव गुणवत्ता पूर्ण आवास निश्चित समय पर उपलब्ध कराने हेतु माह दिसम्बर 2018 तक मण्डल के विभिन्न शहरों में प्रगतिरत 30 प्रोजेक्टस का Real Estate Regulatory Authority (RERA) अधिनियम के तहत पंजीकरण कराया गया है।

18. कॉलोनियों का स्थानीय निकायों को हस्तांतरण

आवासन मण्डल द्वारा प्रदेश के विभिन्न शहरों में विकसित की गयी आवासीय योजनाओं में से वर्ष 2018–19 के दौरान माह दिसम्बर 2018 तक 02 योजनाओं का MOU के आधार पर रख–रखाव हेतु स्थानीय निकायों को हस्तांतरण किया गया है शेष अहस्तांतरित योजनाओं के हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

तालिका I
दिसम्बर, 2018 तक निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये गये शहर/कस्बों की सूची :–

1. आबू रोड
2. अजमेर
3. अकलेरा
4. अलवर
5. अटरू
6. बालोतरा
7. बांसवाड़ा
8 बारां
9 अन्ता
10. बडी सादडी
11. ब्यावर
12. भरतपुर
13. भवानीमण्डी
14. भीलवाड़ा
15. भीण्डर
16. भिवाड़ी
17 बीकानेर
18 बूंदी
19. छबड़ा
20 छीपाबड़ौद
21 चित्तौड़गढ
22 चौमेहला
23 चूरू
24. दौसा
25. धौलपुर
26. डूंगरपुर
27. गुलाबपुरा
28. हनुमानगढ़
29. जयपुर
30. जैसलमेर
31. झालावाड़
32. झालरापाटन
33. झुंझुनू
34. जोधपुर
35. किशनगढ
36. कोटा
37. कोटपुतली
38. लाखेरी
39. नागौर
40. नैनवा
41. नसीराबाद
42. नाथद्वारा
43. निम्बाहेड़ा
44. पाली
45. फलौदी
46. परतापुर
47. पिण्डवाड़ा
48. प्रतापगढ
49. रायला
50. राजसमंद
51. रामगंजमण्डी
52. श्रीगंगानगर
53. सवाई माधोपुर
54. सागवाड़ा
55. सलुम्बर
56. सीकर
57. सिरोही
58. सिवाना
59. सुमेरपुर
60. सुनेल
61. सुरतगढ
62. टोंक
63. उदयपुर
64. मांगरोल
65. बाडमेर

तालिका II (a)

शहरवार/आय वर्ग अनुसार आवासों का कार्य प्रारम्भ/पूर्ण की सूची
(मण्डल की स्थापना से दिसम्बर, 2018 तक)

क्र. सं.	शहर	आवासों का कार्य प्रारम्भ						आवास पूर्ण					
		आ.दृ.क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग अ	मध्यम आय वर्ग ब	उच्च आय वर्ग	योग	आ.दृ.क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग अ	मध्यम आय वर्ग ब	उच्च आय वर्ग	योग
1	आबू रोड	531	582	320	155	24	**1612**	531	582	320	155	24	**1612**
2	अजमेर	1681	1149	991	827	350	**4998**	1681	1149	991	827	350	**4998**
3	अकलेरा	372	0	0	0	0	**372**	372	0	0	0	0	**372**
4	अलवर	2618	1827	1688	1000	375	**7508**	2618	1827	1688	1000	375	**7508**
5	अटरू	286	103	25	9	3	**426**	286	103	25	9	3	**426**
6	बालोतरा	417	356	218	207	28	**1226**	417	356	218	207	28	**1226**
7	बांसवाड़ा	1174	988	375	264	60	**2861**	1174	988	375	264	59	**2860**
8	बारां	626	166	62	7	0	**861**	626	166	62	7	0	**861**
9	अन्ता	64	91	32	7	12	**206**	64	91	32	7	12	**206**
10	बडी सादडी	131	71	5	0	0	**207**	131	71	5	0	0	**207**
11	ब्यावर	878	522	393	420	149	**2362**	878	522	393	420	149	**2362**
12	भरतपुर	355	453	315	120	40	**1283**	355	453	315	120	40	**1283**
13	भवानी मण्डी	126	27	25	0	0	**178**	126	27	25	0	0	**178**
14	भीलवाडा	2857	2636	803	735	499	**7530**	2857	2636	803	735	499	**7530**
15	भीण्डर	46	25	8	2	2	**83**	46	25	8	2	2	**83**
16	भिवाडी	2235	1433	1005	557	873	**6103**	2235	1433	1005	557	873	**6103**
17	बीकानेर	1861	1759	1208	1193	444	**6465**	1861	1751	1196	1193	444	**6445**
18	बाड़मेर	384	192	0	0	0	**576**	384	192	0	0	0	**576**
19	चौमेहला	132	100	0	0	0	**232**	132	100	0	0	0	**232**
20	छबड़ा	279	249	72	28	23	**651**	279	249	72	28	23	**651**
21	छीपा बडौद	200	0	0	0	0	**200**	200	0	0	0	0	**200**
22	चितौडगढ़	902	505	363	155	125	**2050**	902	505	363	155	125	**2050**
23	चूरू	370	288	79	54	49	**840**	370	288	79	54	49	**840**
24	दौसा	623	361	245	66	84	**1379**	623	361	245	66	84	**1379**
25	धौलपुर	444	397	259	231	17	**1348**	443	381	259	231	17	**1331**
26	डूंगरपुर	417	809	771	207	78	**2282**	417	809	771	207	78	**2282**
27	गुलाबपुरा	159	177	134	24	7	**501**	159	177	134	24	7	**501**
28	हनुमानगढ़	1463	1148	579	779	409	**4378**	1463	1148	579	779	361	**4330**
29	जयपुर	22400	24565	15935	17087	12436	**92423**	22400	23263	15925	16991	12436	**91015**
30	जैसलमेर	224	93	146	21	22	**506**	224	93	146	21	22	**506**
31	झालरापाटन	165	50	0	0	0	**215**	165	50	0	0	0	**215**
32	झालावाड	170	232	93	29	6	**530**	170	232	93	29	6	**530**
33	झुंझूनू	708	653	163	236	46	**1806**	708	653	163	236	46	**1806**
34	जोधपुर	12745	10486	5018	3995	2620	**34864**	12745	10486	5018	3995	2620	**34864**
35	किशनगढ़	998	427	281	181	88	**1975**	998	427	281	181	88	**1975**

क्र. सं.	शहर	आवासों का कार्य प्रारम्भ						आवास पूर्ण					
		आ.दृ.क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग अ	मध्यम आय वर्ग ब	उच्च आय वर्ग	योग	आ.दृ.क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग अ	मध्यम आय वर्ग ब	उच्च आय वर्ग	योग
36	कोटा	8287	6294	3950	3368	1579	**23478**	8287	6294	3950	3365	1576	**23472**
37	बूंदी	502	383	221	86	12	**1204**	502	383	221	86	12	**1204**
38	कोटपुतली	299	252	155	101	69	**876**	299	252	155	101	69	**876**
39	लाखेरी	234	104	43	16	9	**406**	229	104	43	16	9	**401**
40	मांगरोल	177	59	8	0	0	**244**	177	59	8	0	0	**244**
41	नागौर	1421	857	514	161	28	**2981**	1417	781	340	138	21	**2697**
42	नैनवा	128	200	42	16	12	**398**	128	200	9	0	0	**337**
43	नसीराबाद	434	303	119	95	61	**1012**	434	303	119	95	61	**1012**
44	नाथद्वारा	11	104	61	54	2	**232**	11	104	61	54	2	**232**
45	निम्बाहेड़ा	363	363	253	98	87	**1164**	363	363	253	98	87	**1164**
46	पाली	1208	661	363	260	55	**2547**	1208	661	363	260	55	**2547**
47	परतापुर	274	351	111	76	17	**829**	274	351	111	76	17	**829**
48	फलौदी	623	245	174	88	42	**1172**	623	245	174	88	42	**1172**
49	पिण्डवाड़ा	138	40	102	42	21	**343**	138	40	101	42	21	**342**
50	प्रतापगढ़	154	165	151	148	48	**666**	154	165	151	148	48	**666**
51	रायला	257	50	0	0	0	**307**	257	50	0	0	0	**307**
52	राजसमन्द	407	313	337	161	71	**1289**	407	313	337	161	71	**1289**
53	रामगंज मण्डी	418	133	52	62	14	**679**	347	133	52	58	14	**604**
54	श्रीगंगानगर	701	224	302	33	0	**1260**	701	224	302	33	0	**1260**
55	सवाई माधोपुर	287	360	394	194	33	**1268**	287	360	394	194	33	**1268**
56	सागवाड़ा	201	754	85	30	16	**1086**	201	750	85	30	15	**1081**
57	सलूम्बर	124	93	44	20	6	**287**	124	93	44	20	6	**287**
58	सीकर	385	322	346	138	62	**1253**	385	322	346	138	62	**1253**
59	सिरोही	179	281	95	99	22	**676**	179	281	95	99	22	**676**
60	सिवाना	151	52	15	10	0	**228**	151	52	15	10	0	**228**
61	सुमेरपुर	15	48	44	43	4	**154**	15	48	44	43	4	**154**
62	सुनैल	134	110	66	39	64	**413**	134	110	66	39	64	**413**
63	सूरतगढ़	669	243	238	218	137	**1505**	669	242	238	218	137	**1504**
64	टोंक	940	271	114	68	54	**1447**	940	271	114	68	54	**1447**
65	उदयपुर	3049	2977	1749	1346	748	**9869**	3049	2977	1749	1346	748	**9869**
	योग	**81211**	**69532**	**41759**	**35666**	**22142**	**250310**	**81130**	**68125**	**41529**	**35524**	**22070**	**248378**

तालिका II (b)

शहरवार/आय वर्ग अनुसार आवासों का आवंटन/कब्जे की सूची

(मण्डल की स्थापना से दिसम्बर, 2018 तक)

क्र.सं.	शहर	आवासों का आवंटन						आवासों का कब्जा					
		आ.दृ.क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग अ	मध्यम आय वर्ग ब	उच्च आय वर्ग	योग	आ.दृ.क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग अ	मध्यम आय वर्ग ब	उच्च आय वर्ग	योग
1	आबू रोड	511	569	303	151	23	**1557**	359	454	244	114	16	**1187**
2	अजमेर	1681	1149	984	827	350	**4991**	1664	1122	947	823	348	**4904**
3	अकलेरा	372	0	0	0	0	**372**	55	0	0	0	0	**55**
4	अलवर	2617	1826	1682	996	374	**7495**	2572	1776	1639	978	371	**7336**
5	अटरू	281	101	25	8	2	**417**	243	98	22	6	2	**371**
6	बालोतरा	408	340	211	206	27	**1192**	387	320	195	205	24	**1131**
7	बांसवाड़ा	1174	988	373	259	60	**2854**	1171	981	373	258	58	**2841**
8	बारां	626	164	62	7	0	**859**	532	106	51	2	0	**691**
9	अन्ता	63	91	32	4	8	**198**	52	87	29	3	5	**176**
10	बडी सादडी	122	66	5	0	0	**193**	70	43	1	0	0	**114**
11	ब्यावर	855	519	384	419	146	**2323**	800	467	367	354	143	**2131**
12	भरतपुर	355	452	315	120	38	**1280**	355	452	313	120	32	**1272**
13	भवानी मण्डी	125	27	25	0	0	**177**	115	26	24	0	0	**165**
14	भीलवाडा	2854	2602	750	731	487	**7424**	2594	2382	610	720	481	**6787**
15	भीण्डर	46	25	6	2	2	**81**	46	18	4	0	0	**68**
16	भिवाडी	2152	1380	954	549	858	**5893**	1824	1218	761	513	811	**5127**
17	बीकानेर	1861	1751	1196	1193	443	**6444**	1732	1715	1181	1145	409	**6182**
18	बाड़मेर	266	124	0	0	0	**390**	0	0	0	0	0	**0**
19	चौमेहला	132	100	0	0	0	**232**	9	7	0	0	0	**16**
20	छबड़ा	243	246	55	19	16	**579**	118	137	16	9	6	**286**
21	छीपा बडौद	199	0	0	0	0	**199**	4	0	0	0	0	**4**
22	चितौडगढ़	902	505	363	155	125	**2050**	893	501	358	148	107	**2007**
23	चूरू	370	288	79	48	41	**826**	369	287	48	36	18	**758**
24	दौसा	622	358	245	66	84	**1375**	589	333	220	46	70	**1258**
25	धौलपुर	421	378	255	227	17	**1298**	233	193	216	207	14	**863**
26	डूंगरपुर	406	809	763	207	78	**2263**	399	808	759	207	78	**2251**
27	गुलाबपुरा	158	175	133	24	7	**497**	158	166	121	24	7	**476**
28	हनुमानगढ़	1323	1062	557	750	357	**4049**	767	785	447	688	263	**2950**
29	जयपुर	21719	23390	15444	16830	12139	**89522**	21300	20386	14709	16299	11652	**84346**
30	जैसलमेर	224	93	142	21	22	**502**	**224**	**93**	**70**	**21**	17	**425**
31	झालरापाटन	165	50	0	0	0	**215**	158	45	0	0	0	**203**
32	झालावाड	166	231	93	29	6	**525**	161	218	80	29	6	**494**
33	झुंझूनू	708	653	163	233	46	**1803**	708	653	163	233	46	**1803**
34	जोधपुर	12548	10378	4903	3862	2584	**34275**	10656	9090	4391	3732	2508	**30377**
35	किशनगढ़	977	423	273	180	81	**1934**	738	301	198	132	52	**1421**
36	कोटा	8287	6294	3950	3357	1566	**23454**	8274	6287	3937	3342	1561	**23401**

क्र.सं.	शहर	आवासों का आवंटन						आवासों का कब्जा					
		आ.दृ.क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग अ	मध्यम आय वर्ग ब	उच्च आय वर्ग	योग	आ.दृ.क. आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग अ	मध्यम आय वर्ग ब	उच्च आय वर्ग	योग
36	कोटा	8287	6294	3950	3357	1566	**23454**	8274	6287	3936	3341	1561	**23399**
37	बूंदी	502	383	221	86	12	**1204**	502	379	220	86	12	**1199**
38	कोटपुतली	299	252	155	101	68	**875**	289	246	133	81	40	**789**
39	लाखेरी	231	102	41	12	7	**393**	16	10	0	0	1	**27**
40	मांगरोल	148	44	6	0	0	**198**	1	1	0	0	0	**2**
41	नागौर	1417	844	481	152	21	**2915**	1234	582	202	113	18	**2149**
42	नैनवा	125	179	42	14	9	**369**	100	126	0	0	0	**226**
43	नसीराबाद	434	303	119	95	61	**1012**	394	284	114	67	58	**917**
44	नाथद्वारा	11	104	61	53	2	**231**	11	104	61	43	2	**221**
45	निम्बाहेड़ा	363	363	242	97	81	**1146**	358	338	202	88	79	**1065**
46	पाली	1206	661	363	260	55	**2545**	1206	660	363	260	49	**2538**
47	परतापुर	274	346	108	47	12	**787**	198	298	89	42	11	**638**
48	फलौदी	621	245	173	87	42	**1168**	599	235	167	85	39	**1125**
49	पिण्डवाड़ा	138	39	100	40	21	**338**	124	31	85	40	21	**301**
50	प्रतापगढ़	154	165	151	148	48	**666**	153	165	148	148	46	**660**
51	रायला	256	45	0	0	0	**301**	183	15	0	0	0	**198**
52	राजसमन्द	407	313	319	147	70	**1256**	407	312	266	143	70	**1198**
53	रामगंज मण्डी	418	132	52	57	14	**673**	267	123	45	44	12	**491**
54	श्रीगंगानगर	701	224	302	33	0	**1260**	701	224	300	33	0	**1258**
55	सवाई माधोपुर	287	360	394	194	33	**1268**	286	360	394	194	33	**1267**
56	सागवाड़ा	201	750	85	30	15	**1081**	156	705	68	7	0	**936**
57	सलूम्बर	124	93	44	20	6	**287**	122	91	42	19	5	**279**
58	सीकर	385	322	345	136	61	**1249**	383	321	342	135	61	**1242**
59	सिरोही	179	281	95	99	21	**675**	175	280	95	98	20	**668**
60	सिवाना	10	0	0	0	0	**10**	5	0	0	0	0	**5**
61	सुमेरपुर	15	48	44	43	4	**154**	15	47	43	37	4	**146**
62	सुनैल	129	100	66	39	64	**398**	124	86	61	29	61	**361**
63	सूरतगढ़	669	242	238	213	133	**1495**	661	242	238	208	127	**1476**
64	टोंक	933	270	113	68	51	**1435**	933	270	113	68	50	**1434**
65	उदयपुर	3048	2974	1742	1344	747	**9855**	3047	2969	1697	1343	745	**9801**
	योग	**79624**	**67791**	**40827**	**35095**	**21645**	**244982**	**72979**	**61059**	**37982**	**33805**	**20669**	**226494**

तालिका III (a)

नये आवास प्रारम्भ (आय वर्गानुसार/वर्षवार)
(मण्डल की स्थापना से दिसम्बर 2018 तक)

वर्ष	आ.दृ.क. वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग (अ)	मध्यम आय वर्ग (ब)	उच्च आय वर्ग	योग
31.03.1990 तक	38204	32394	17695	13409	5357	**107059**
1990–91	626	996	703	1123	633	**4081**
1991–92	1336	3466	2381	1708	1319	**10210**
1992–93	1190	1263	137	1409	1290	**5289**
1993–94	1068	815	2251	3165	1893	**9192**
1994–95	523	914	528	684	503	**3152**
1995–96	574	1315	826	398	374	**3487**
1996–97	900	802	389	654	344	**3089**
1997–98	2783	2553	1583	1751	425	**9095**
1998–99	740	716	362	568	192	**2578**
1999–00	368	218	106	95	47	**834**
2000–01	959	416	117	576	375	**2443**
2001–02	3257	484	107	326	480	**4654**
2002–03	592	516	224	415	687	**2434**
2003–04	1030	868	163	29	274	**2364**
2004–05	1912	1411	432	397	886	**5038**
2005–06	2863	1065	487	333	404	**5152**
2006–07	2086	3727	630	514	614	**7571**
2007–08	3146	1927	1229	1398	1822	**9522**
2008–09	2277	1489	1047	1004	953	**6770**
2009–10	2806	2377	2395	1073	610	**9261**
2010–11	1300	530	656	463	32	**2981**
2011–12	1346	1090	1436	810	548	**5230**
2012–13	3027	2681	2543	1273	578	**10102**
2013–14	3149	1840	1248	1084	684	**8005**
2014–15	2317	2271	1199	890	546	**7223**
2015–16	826	1380	883	113	248	**3450**
2016.17	7	7	2	4	23	**43**
2017–18	-1	1	0	0	1	**1**
2018–19 (माह दिसम्बर 2018 तक)	0	0	0	0	0	**0**
योग	**81211**	**69532**	**41759**	**35666**	**22142**	**250310**

तालिका III (b)

आवास पूर्ण किये गये (आय वर्गानुसार/वर्षवार)
(मण्डल की स्थापना से दिसम्बर 2018 तक)

वर्ष	आ.दृ.क . वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग (अ)	मध्यम आय वर्ग (ब)	उच्च आय वर्ग	योग
31.03.1990 तक	35038	28295	15621	11002	3779	**93735**
1990–91	1961	1961	795	1295	765	**6777**
1991–92	1004	2678	1762	1567	1033	**8044**
1992–93	1574	3392	1492	1771	1635	**9864**
1993–94	1744	1727	1569	1999	1824	**8863**
1994–95	754	841	1323	2227	1099	**6244**
1995–96	889	724	675	832	498	**3618**
1996–97	663	627	708	575	526	**3099**
1997–98	1782	1948	1127	1723	503	**7083**
1998–99	1963	1452	1151	921	359	**5846**
1999–00	750	832	453	777	280	**3092**
2000–01	706	845	259	470	285	**2565**
2001–02	1143	778	140	351	368	**2780**
2002–03	2768	659	213	462	806	**4908**
2003–04	567	91	130	142	106	**1036**
2004–05	913	837	116	287	608	**2761**
2005–06	3183	1646	419	378	586	**6212**
2006–07	1785	960	623	298	372	**4038**
2007–08	2233	953	588	749	1336	**5859**
2008–09	2549	1820	1106	1199	1225	**7899**
2009–10	2403	1742	945	532	388	**6010**
2010–11	2057	2385	1874	1007	585	**7908**
2011–12	1976	921	1234	770	536	**5437**
2012–13	1406	892	1168	701	544	**4711**
2013–14	1611	1449	1580	1145	522	**6307**
2014–15	3699	3326	2189	663	390	**10267**
2015–16	1543	1414	983	1057	594	**5591**
2016–17	1874	2769	1258	323	147	**6371**
2017–18	592	161	28	151	115	**1047**
2018–19 (माह दिसम्बर 2018 तक)	0	0	0	150	256	**406**
योग	**81130**	**68125**	**41529**	**35524**	**22070**	**248378**

तालिका III (c)

आवासों का आवंटन (आय वर्गवार/वर्षवार)
(मण्डल की स्थापना से दिसम्बर 2018 तक)

वर्ष	आ.दृ.क वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग (अ)	मध्यम आय वर्ग (ब)	उच्च आय वर्ग	योग
31.03.1990 तक	34929	27792	15256	11067	3524	**92568**
1990–91	748	1407	856	1081	691	**4783**
1991–92	1360	3159	1887	1943	1160	**9509**
1992–93	922	1756	1082	1423	1354	**6537**
1993–94	1904	2508	2136	2308	1799	**10655**
1994–95	335	594	435	928	485	**2777**
1995–96	1394	1206	388	839	591	**4418**
1996–97	781	476	566	193	440	**2456**
1997–98	1167	957	631	530	223	**3508**
1998–99	1820	680	1058	992	481	**5031**
1999–00	1800	1439	551	1180	560	**5530**
2000–01	742	1539	596	753	380	**4010**
2001–02	922	759	392	635	514	**3222**
2002–03	825	693	245	335	505	**2603**
2003–04	2902	595	215	596	215	**4523**
2004–05	889	870	526	954	655	**3894**
2005–06	2912	2281	531	590	821	**7135**
2006–07	2053	1170	746	407	483	**4859**
2007–08	3331	1550	963	951	1491	**8286**
2008–09	2068	1952	1078	724	1051	**6873**
2009–10	2021	1362	1423	1136	900	**6842**
2010–11	2497	2666	2067	972	695	**8897**
2011–12	2714	1313	1611	1141	706	**7485**
2012–13	894	728	1127	857	427	**4033**
2013–14	3160	2825	1847	843	424	**9099**
2014–15	2047	2366	1025	808	437	**6683**
2015–16	1658	2732	1328	712	495	**6925**
2016–17	805	398	214	141	124	**1682**
2017–18	22	16	35	20	14	**107**
2018–19 (माह दिसम्बर 2018 तक)	2	2	12	36	0	**52**
योग	**79624**	**67791**	**40827**	**35095**	**21645**	**244982**

तालिका III (d)

आवासों का कब्जा देना (आय वर्गानुसार/वर्षवार)
(मण्डल की स्थापना से दिसम्बर 2018 तक)

वर्ष	आ.दृ.क. वर्ग	अल्प आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग (अ)	मध्यम आय वर्ग (ब)	उच्च आय वर्ग	योग
31.03.1990 तक	31323	25700	12717	8825	3065	**81630**
1990—91	1050	1277	1410	1333	459	**5529**
1991—92	1986	2030	1598	1462	540	**7616**
1992—93	1198	1556	1195	1377	766	**6092**
1993—94	220	582	1167	1076	933	**3978**
1994—95	264	756	760	1501	1143	**4424**
1995—96	1854	1733	966	1141	1036	**6730**
1996—97	1727	1384	891	1095	788	**5885**
1997—98	1356	1031	723	790	471	**4371**
1998—99	684	809	563	431	335	**2822**
1999—00	1253	834	628	819	450	**3984**
2000—01	1147	1542	872	1586	728	**5875**
2001—02	1253	1403	739	866	616	**4877**
2002—03	1143	980	451	550	682	**3806**
2003—04	2857	1488	543	778	335	**6001**
2004—05	2321	1719	658	868	360	**5926**
2005—06	1332	1303	652	963	791	**5041**
2006—07	3111	2449	712	546	557	**7375**
2007—08	1484	840	710	692	791	**4517**
2008—09	2496	1025	829	600	969	**5919**
2009—10	1417	1090	745	535	674	**4461**
2010—11	1568	1057	885	763	912	**5185**
2011—12	2119	2458	1673	1225	891	**8366**
2012—13	1841	1180	1411	985	686	**6103**
2013—14	1938	935	911	720	495	**4999**
2014—15	1416	1354	1315	725	348	**5158**
2015—16	1637	1690	1021	480	299	**5127**
2016—17	619	485	621	521	320	**2566**
2017—18	234	256	435	415	83	**1423**
2018—19 (माह दिसम्बर 2018 तक)	131	113	181	137	146	**708**
योग	**72979**	**61059**	**37982**	**33805**	**20669**	**226494**

तालिका IV (a)

मण्डल अधिनियम–1970 की धारा–27 की अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा जारी की जा चुकी है –

दिनांक 31.12.2018 तक

क्र.सं.	योजना का नाम	रकबा (हैक्टेयर)
1	ग्राम सिरोली, तहसील सांगानेर छूटे हुये खसरा नं	6.44
2	महला–चाणचुक्या, जयपुर	175.13
3	बहरोड उर्फ बलराम, तहसील बहरोड	55.01
4	ग्राम सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर	33.657
5.	ग्राम माकडवाली,तहसील व जिला अजमेर	116.51
6.	ग्राम डूंगरपुर, गोकुलपुरा व भाटपुरा, जिला डूंगरपुर	29.62
	कुल क्षेत्रफल	**416.367**

अवाप्ति हेतु प्रस्तावित योजनाऐं जिनमें धारा –27 की अधिसूचना जारी की जानी है –

दिनांक 31.12.2018 तक

क्र.सं.	योजना का नाम	रकबा (हैक्टेयर)
1	ग्राम खो नागोरियन, भावगढ बंधा, तहसील सांगानेर, जयपुर	72.02
2	ग्राम–पाली	125.85
3	ग्राम छत्रपुरा, जिला बूंदी	74.22
	कुल क्षेत्रफल	**272.09**

तालिका IV (b)

राज्य सरकार के स्तर पर धारा–11(1) के अंतर्गत विचाराधीन प्रकरण

दिनांक 31.12. 2018 तक

क्र.सं	योजना का नाम	रकबा (हैक्टेयर)
1	ग्राम जाजेकलां व जाजेखुर्द, शाहपुरा, जयपुर	142.8687
.	**कुल क्षेत्रफल**	**142.8687**

तालिका IV (c)

विशेषाधिकारी स्तर पर प्रक्रियाधीन भूमि अवाप्ति प्रकरण

दिनांक 31.12. 2018 तक

क्र.सं	योजना का नाम	रकबा (हैक्टेयर)
1.	देवाली गोवर्धन विलास, उदयपुर	21.75
	कुल क्षेत्रफल	**21.75**

तालिका V
पुरस्कार

वर्ष	पुरस्कार	पुरस्कृत करने वाली संस्था	उपलब्धि जिसके लिये पुरस्कार दिया गया
1982	सर एम. विश्वैश्वरैया पुरस्कार (अ) द्वितीय पुरस्कार	हुडको एवं हरि ओम आश्रम टस्ट्र, नाडियाद	वर्ष 1982 में जोधपुर में 398 आवासों के निर्माण हेतु
	(ब) तृतीय पुरस्कार		वर्ष 1982 में अलवर में 402 आवासों के निर्माण हेतु
	(स) तृतीय पुरस्कार		वर्ष 1982 में कोटा में 426 आवासों के निर्माण हेतु
1983	वार्षिक रोटेशनल ट्राफी	हुडको	जोधपुर की मधुवन एवं चौपासनी रोड़ फेज–7 योजना के लिये बेहतर साईट्स एवं सेवाओं के लिये
1985	सर एम. विश्वैश्वरैया पुरस्कार प्रथम पुरस्कार	हुडको एवं हरि ओम आश्रम टस्ट्र, नाडियाद	मानसरोवर योजना, जयपुर मे 385 आवासों के निर्माण के लिये
1992	कम लागत के आवास प्रतियोगिता (शहरी)	हरि ओम आश्रम टस्ट्र, नाडियाद	मधुवन स्कीम जोधपुर में अल्प आय वर्ग अवासों के निर्माण के लिये
1994	प्रशंसा–उत्कृष्ठ कार्य सम्पादन	हुडको	आवासन मण्डल की स्थापना से किये गये उत्कृष्ठ कार्य सम्पादन के लिये (1970–93)
1994	प्रशंसा–अतिविशिष्ठ कार्य सम्पादन	हुडको	हुड़को से आवासन मण्डल के लगातार जुड़ाव एवं अतिविशिष्ठ कार्य सम्पादन के लिये
2010	इंडिया प्राईड अवार्ड–2010	एस. कुमार नेशनवाईड लि. (सामूहिक प्रायोजकः दैनिक भास्कर एवं DNA समूह)	गरीब तबके की सुविधाओं हेतु नवाचार एवं उच्च गुणवत्ता के आवास निर्माण के लिये
2011	विश्वकर्मा अवार्ड–2011	सी.आई.डीसी, नई दिल्ली	समाजिक दायित्व की श्रेणी में उदाहरणीय सेवाओं एवं नवाचारों के लिये
2013	आईएसओ प्रमाण पत्र 9001–2008	ए.सी.एस प्रा.लि.	प्रबन्धकीय कार्य गुणवता हेतु ISO 9001–2008 प्रमाण पत्र
2014	मास हाउसिंग–पब्लिक	नेशनल रियल इस्टेट डवलपमेन्ट काउन्सिल नई दिल्ली (NAREDCO)	मास हाउसिंग क्षेत्र में विशिष्ठ उपलब्धि हेतु
2016	NAREDCO's scroll of honor	नेशनल रियल इस्टेट डवलपमेन्ट काउन्सिल नई दिल्ली (NAREDCO)	Best Development Authority (State)

तालिका VI (a)

RAJASTHAN HOUSING BOARD JAIPUR

Posts Sanctioned, Existing And Vacancies Dec.2018

REGULAR EMPLOYEE As on 31-12-2018

S.NO.	Name of Post	Sanctioned	Existing	Vacant	Excess	on Dep.
1	2	3	4	5	6	7
1	CHIEF ENGINEER	3	3	0	0	0
2	ADDL. C. E.	4	3	1	0	0
3	DY.H.C.	14	1	13	0	0
4	SR.P.M.	1	1	0	0	0
5	Dy. FINANCE ADVISOR	1	0	1	0	0
6	SR.ACCOUNTS OFFICER	2	1	1	0	0
7	RESIDENT ENGINEER	57	11	46	0	0
8	PRIVATE SECRETARY	6	6	0	0	0
9	DY.TOWN PLANNER	1	1	0	0	0
10	JOINT DIRECTOR (S.A.)	1	1	0	0	0
11	A.O.	15	5	10	0	0
12	ASSTT. ARCHI. / A.T.P.	5	1	4	0	0
13	ESTATE MANAGER	6	1	5	0	0
14	PERSONAL MANAGER	1	1	0	0	0
15	ASSTT. SECY.	1	1	0	0	0
16	A.L.R.	1	0	1	0	0
17	PROJECT ENGINEER (SR)	367	177	190	0	0
18	A.A.O.(GR.1)	26	12	14	0	0
19	A.H.O.	18	15	3	0	0
20	Sr. L.O.	4	0	4	0	0
21	Add. P.S.	8	7	1	0	0
22	PROGRAMMER	2	0	2	0	0
23	ASSITT.ACCOUNTS OFFICER.Gr.ii	64	31	33	0	0
24	ARCHI. ASSTT. / T.P.A.	8	6	2	0	0
25	ASSTT.LAO	2	0	2	0	0
26	ADDL.ADMM.OFFICER	33	27	6	0	0
27	PERSONAL ASSISTANT	35	24	11	0	0
28	ASSISTANT ADM.OFFICER	90	61	29	0	0
29	GARDEN INSPECTOR	1	1	0	0	0
30	JR. ACCOUNTANT	202	32	170	0	0
31	LAND INSPECTOR	1	0	1	0	0
32	Jr. LAW OFFICER	12	0	12	0	0
33	SR. DM	15	11	4	0	0
34	JR. DM	21	10	11	0	0
35	PLUMBER GR-I	1	0	1	0	0
36	ASSTT. PROGMMER	13	3	10	0	0
37	DEO / INFORMATION ASSTT.	24	0	24	0	0
38	LAB. ASSTT.	2	0	2	0	0
39	DRIVER	12	6	6	0	0
40	JR.ASSISTANT	270	209	61	0	0
41	TELEPHONE OPR.	2	0	2	0	0
42	TRACER	7	0	7	0	0
43	FERO PRINTER	1	1	0	0	0
44	F. CUM R/KEEPER	2	1	1	0	0
45	GARDENER	1	0	1	0	0
46	MACHINE MAN	2	2	0	0	0
47	JAMADAR	11	7	4	0	0
48	HELPER	227	182	45	0	0
49	SWEEPER	12	12	0	0	0
	TOTAL	***1615***	***874***	***741***	***0***	***0***

तालिका VI (b)

RAJASTHAN HOUSING BOARD JAIPUR

Posts Sanctioned, Existing And Vacancies Dec.2018

WORK CHARGE STAFF (REGULARISED)

As on 31-12-2018

S.No.	Name of Post	Sanctioned	Existing	Vacant	Excess
1	SUPERVISIOR(Sr.)	2	2	0	0
2	SUPERVISIOR	38	38	0	0
3	SUPERVISIOR(Jr.)	45	45	0	0
4	FITTER	7	7	0	0
5	ELECTRICIAN	13	13	0	0
6	CARPENTER	3	3	0	0
7	MASSON	11	11	0	0
8	GARDNER	6	6	0	0
9	CHOKIDAR	10	10	0	0
10	HELPER GARDNER	0	0	0	0
11	SWEEPER	12	12	0	0
12	HELPER SKILLED	26	26	0	0
13	HELPER UN-SKILLED	96	96	0	0
	TOTAL POST	**269**	**269**	**0**	**0**

वर्कचार्ज (नियमित) कार्मिकों के सेवानिर्वत/निधन हो जाने की दशा में पद स्वतः ही समाप्त हो जायेगें।

तालिका VI (c)
RAJASTHAN HOUSING BOARD JAIPUR
Posts Sanctioned, Existing And Vacancies Dec.2018

Deputation Staff in RHB

As on 31-12-2018

S.NO.	Name of Post	Sanctioned	Existing	Vacant	Excess
1	2	3	4	5	6
1	CHAIRMAN	1	1	0	0
2	HOUSING COMMISSIONER	1	1	0	0
3	SECRETARY	1	1	0	0
4	F.A.& C.A.O.	1	1	0	0
5	DIRECTOR LAW	1	1	0	0
6	A.C.T.P.	1	1	0	0
7	C.E.M.	1	1	0	0
8	SR.TOWN PLANNER	1	1	0	0
9	DY. SECRETARY	1	0	1	0
10	Dy. FINANCE ADVISOR	1	0	1	0
11	Sr. ACCOUNTS OFFICER	2	0	2	0
12	RESIDENT ENGINEER	4	4	0	0
13	O.S.D.	1	0	1	0
14	ESTATE MANAGER (RAS)	2	1	1	0
15	PROJECT ENGINEER (SR)	10	8	2	0
16	Sr. LAW OFFICER	0	1	0	1
17	LAO/ TEHSILDAR	2	0	2	0
18	ASSTT. DIRECTOR (PR)	1	1	0	0
19	ASSTT. STATISTICAL OFFICER	1	1	0	0
20	JR. LAW OFFICER	0	1	0	1
21	PROJECT ENGINEER (JR)	20	3	17	0
22	DEO / INFORMATION ASSTT	0	2	0	2
	TOTAL	***53***	***30***	***27***	***4***

तालिका VII
मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय की ई–मेल सूची

क्र.सं.	नाम	पद	ई–मेल आईडी
1	श्री डी.बी.गुप्ता	अध्यक्ष	chairman.rhb@rajasthan.gov.in
2	डॉ. रवि कुमार सुरपुर	आवासन आयुक्त	hc.rhb@rajasthan.gov.in
3	श्री आशीष कुमार शर्मा	सचिव	secy.rhb@rajasthan.gov.in
4	श्री अनिल कुमार रावत	मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)	cehq.rhb@rajasthan.gov.in
5	श्री के.सी. मीणा	मुख्य अभियन्ता (प्रथम)	ce1.rhb@rajasthan.gov.in
6	श्री जी.एस. बाघेला	मुख्य अभियन्ता (द्वितीय)	ce2.rhb@rajasthan.gov.in
7	श्रीमति रेखा भास्कर	वित्तीय सलाहकार	facao.rhb@rajasthan.gov.in
8	श्री अनिल कुमार कौशिक (अतिरिक्त प्रभार)	मुख्य सम्पदा प्रबन्धक	cem.rhb@rajasthan.gov.in
9	श्री लेखराज जाग्रत	निदेशक (विधि)	dirlaw.rhb@rajasthan.gov.in
10	श्री नत्थूराम	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम	ace1.rhb@rajasthan.gov.in
11	श्री कल्याण प्रसाद	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–द्वितीय	ace2.rhb@rajasthan.gov.in
12	श्री सीताराम बारी (अतिरिक्त प्रभार)	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–तृतीय	ace3.rhb@rajasthan.gov.in
13	श्री कल्याण प्रसाद (अति. प्रभार)	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता एवं अध्यक्ष, आवास विकास संस्थान अवसायन समिति	ace-avslc.rhb@rajasthan.gov.in
14	श्री एस.एल.सेठी (अतिरिक्त प्रभार)	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक	actp.rhb@rajasthan.gov.in
15	श्री एम.के. ठोलिया (अति. प्रभार)	उप वित्तीय सलाहकार	dy fa.rhb@rajasthan .gov.in
16	श्री अनुज माथुर	संयुक्त निदेशक (System Anaylist)	jdsa.rhb@rajasthan.gov.in
17	श्री एम.सी.उपाध्याय	तकनीकी सहायक, अध्यक्ष	ta2cm.rhb@rajasthan.gov.in
18	श्री सर्वेश शर्मा	तकनीकी सहायक, आवासन आयुक्त	ta2hc.rhb@rajasthan.gov.in
19	श्री के.के.दीक्षीत (अतिरिक्त प्रभार)	तकनीकी सहायक, मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)	ta2ce.rhb@rajasthan.gov.in
20	श्री ईश्वर रंगनानी	उप आवासन आयुक्त (गुणवत्ता नियंत्रण)	dhcqc.rhb@rajasthan.gov.in
21	श्री आशीष कुमार शर्मा (अतिरिक्त प्रभार)	उप सचिव	dysecy.rhb@rajasthan.gov.in
22	श्री संदीप गर्ग	आवासीय अभियन्ता गुणवत्ता नियंत्रण–प्रथम जयपुर	rejprqc1.rhb@rajasthan.gov.in
23	श्री प्रतीक श्रीवास्तव	आवासीय अभियन्ता गुणवत्ता नियंत्रण–II जयपुर	rejprqc2.rhb@rajasthan.gov.in

24	श्री जगराम कुलडिया (अति. प्रभार)	आवासीय अभियन्ता (मुख्यालय)	replan.rhb@rajasthan.gov.in
25	श्री मृणाल जोशी	वरिष्ठ नगर नियोजक	dtp.rhb@rajasthan.gov.in
26	श्री अशोक कुमार गुप्ता	आवासीय अभियन्ता (विद्युत)	reelect.rhb@rajasthan.gov.in
27	श्री गोपाल लाल बैरवा	सम्पदा प्रबन्धक (रिकॉर्ड)	centrecords.rhb@rajasthan.gov.in
28	श्री अनिल कुमार कौशिक (अति. प्रभार)	विशेषाधिकारी (भूमि)	osdland.rhb@rajasthan.gov.in
29	श्री एम.के.ठोलिया (अति. प्रभार)	वरिष्ठ लेखाधिकारी–प्रथम	sao1.rhb@rajasthan.gov.in
30	श्री एम.के ठोलियॉ	वरिष्ठ लेखाधिकारी–द्वितीय	sao2.rhb@rajasthan.gov.in
31	श्री अरूण जोशी	सहायक निदेशक जनसम्पर्क	pro.rhb@rajasthan.gov.in
32	श्री आर.एस. निर्वाण	निजी सचिव, अध्यक्ष	ps2cm.rhb@rajasthan.gov.in
33	श्रीमति निर्मला कल्ला	निजी सचिव, आवासन आयुक्त	ps2hc.rhb@rajasthan.gov.in
34	श्री जे.के गंगवाल	लेखाधिकारी (भुगतान)	aopayment.rhb@rajasthan.gov.in
35	श्री घनश्याम शर्मा	सहायक लेखाधिकारी (स्टोर)	centstores.rhb@rajasthan.gov.in
36	श्री अरूण शर्मा	अति. निजी सचिव– आवासन आयुक्त	pa2hc.rhb@rajasthan.gov.in
37	श्री गुलाबा राम मोची	तकनीकी सहायक अति. मु. अभि.–प्रथम जयपुर	ta2ace1.rhb@rajasthan.gov.in
38	श्री आर. सी. रायल	तकनीकी सहायक अति. मु. अभि.–द्वितीय जोधपुर	ta2ace2.rhb@rajasthan.gov.in
39	श्री टी.एस. मीणा	तकनीकी सहायक अति. मु. अभि.–तृतीय जयपुर	ta2ace3.rhb@rajasthan.gov.in
जयपुर वृत्त–प्रथम			
40	श्री आर.सी.जैन	उप आवासन आयुक्त	dhcjpr1.rhb@rajasthan.gov.in
41	श्री आर.डी. गुप्ता	तकनीकी सहायक, उप आवासन आयुक्त	ta2dhcjpr1.rhb@rajasthan.gov.in
42	श्री आर.सी.बुडानिया (अति. प्रभार)	आवासीय अभियन्ता खण्ड–III	rejpr3.rhb@rajasthan.gov.in
43	श्री मोहन लाल गुप्ता	आवासीय अभियन्ता खण्ड–IV	rejpr4.rhb@rajasthan.gov.in
44	श्री अमित अग्रवाल	आवासीय अभियन्ता खण्ड–V	rejpr5.rhb@rajasthan.gov.in
45	श्री एम.एस.हाडा (अति. प्रभार)	आवासीय अभियन्ता खण्ड–X	rejpr10.rhb@rajasthan.gov.in
46	श्री हनुमार सिंह बरफा	आवासीय अभियन्ता खण्ड–XII	rejpr12.rhb@rajasthan.gov.in
जयपुर वृत्त–द्वितीय			
47	श्री सीता राम बारी	उप आवासन आयुक्त–II	dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in

48	श्री हंसराज दुपगा	तकनीकी सहायक, उप आवासन आयुक्त	ta2dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in
49	श्री मनीराम बडगूर्जर	आवासीय अभियन्ता खण्ड–VI	rejpr6.rhb@rajasthan.gov.in
50	श्री चन्द्र भान चुग	आवासीय अभियन्ता खण्ड–IX	rejpr9.rhb@rajasthan.gov.in
51	श्री ऋषि कुमार शर्मा	पी.एच.ई.–I	rejprphe1.rhb@rajasthan.gov.in
52	श्री पी.एम.डीगंरवाल	आवासीय अभियन्ता खण्ड–अजमेर	reajmer.rhb@rajasthan.gov.in
53	श्री हाकम चन्द पंवार	आवासीय अभियन्ता खण्ड–झुंझुंनू	rejhunjhunu.rhb@rajasthan.gov.in
जयपुर वृत्त–तृतीय			
54	श्री सर्वजीत सिंह (अति.प्रभार)	उप आवासन आयुक्त	dhcjpr3.rhb@rajasthan.gov.in
55	श्री एस. एन. द्विवेदी	तकनीकी सहायक, उप आवासन आयुक्त	ta2dhcjpr3.rhb@rajasthan.gov.in
56	श्री डी.एस.गुप्ता	आवासीय अभियन्ता खण्ड–I	rejpr1.rhb@rajasthan.gov.in
57	श्री जे.एस.बुगालिया	आवासीय अभियन्ता खण्ड–II	rejpr2.rhb@rajasthan.gov.in
58	श्री विजय अग्रवाल	आवासीय अभियन्ता खण्ड–XI	rejpr11.rhb@rajasthan.gov.in
59	श्री के.एल.निनानिया	आवासीय अभियन्ता खण्ड–XIII	rejpr13.rhb@rajasthan.gov.in
60	श्री हरिकृष्ण अग्रवाल	आवासीय अभियन्ता पी.एच.ई–द्वितीय	rejprphe2.rhb@rajasthan.gov.in
61	श्री अनिल सक्सैना	आवासीय अभियन्ता खण्ड–दौसा	redausa.rhb@rajasthan.gov.in
अलवर वृत्त			
62	श्री जे.एस. महावर (अति.प्रभार)	उप आवासन आयुक्त	dhcalwar.rhb@rajasthan.gov.in
63	श्री	तकनीकी सहायक, उप आवासन आयुक्त	ta2dhcalwar.rhb@rajasthan.gov.in
64	श्री जे.एस. महावर	आवासीय अभियन्ता खण्ड–अलवर	realwar.rhb@rajasthan.gov.in
65	श्री के.सी.ढाका	आवासीय अभियन्ता खण्ड–भिवाड़ी	rebwd.rhb@rajasthan.gov.in
66	श्री रामेश्वर चौधरी (अति.प्रभार)	आवासीय अभियन्ता खण्ड–भरतपुर	rebharatpur.rhb@rajasthan.gov.in
बीकानेर वृत्त			
67	श्री आर.सी.मेघवाल (अति.प्रभार)	उप आवासन आयुक्त	dhcbikaner.rhb@rajasthan.gov.in
68	श्री	तकनीकी सहायक, उप आवासन आयुक्त	ta2dhcbikaner.rhb@rajasthan.gov.in
69	श्री आर.सी.मेघवाल	आवासीय अभियन्ता खण्ड–बीकानेर	rebkn1.rhb@rajasthan.gov.in
70	श्री श्रवण कुमार (अति.प्रभार)	आवासीय अभियन्ता खण्ड–नागौर	rebkn2.rhb@rajasthan.gov.in
71	श्री टी. सी. सेवटा	आवासीय अभियन्ता खण्ड, हनुमानगढ़	rehanumangarh.rhb@rajasthan.gov.in
जोधपुर वृत्त–प्रथम			
72	श्री के.एस. चौधरी	उप आवासन आयुक्त–I	dhcjodhpur1.rhb@rajasthan.gov.in

73	श्री	तकनीकी सहायक, उप आवासन आयुक्त–I	ta2dhcjodhpur1.rhb@rajasthan.gov.in
74	श्री नरेन्द्र बोहरा	आवासीय अभियनता खण्ड–II	rejdpr2.rhb@rajasthan.gov.in
75	श्री एल.एल.गुरू (अति. प्रभार)	आवासीय अभियन्ता खण्ड–III	rejdpr3.rhb@rajasthan.gov.in
76	श्री एल. एल. गुरू	आवासीय अभियन्ता	rejdpr4.rhb@rajasthan.gov.in
77	श्री विकास वसन्त मोघे	आवासीय अभियन्ता पी.एच.ई	rejdrphe.rhb@rajasthan.gov.in
78	श्री संजय बोहरा	आवासीय अभियन्ता गुणवत्ता नियंत्रण	rejdprqc.rhb@rajasthan.gov.in
जोधपुर वृत्त–द्वितीय			
79	श्री नरेन्द्र बोहरा (अति. प्रभार)	उप आवासन आयुक्त–II	dhcjdpr2.rhb@rajasthan.gov.in
80		तकनीकी सहायक, उप आवासन आयुक्त	ta2dhcjdpr2.rhb@rajasthan.gov.in
81	श्री अरूण कमल (अति. प्रभार)	आवासीय अभियन्ता खण्ड–प्रथम	rejdpr1.rhb@rajasthan.gov.in
82	श्री आर.एस.भाटी	आवासीय अभियन्ता खण्ड–पाली	repali.rhb@rajasthan.gov.in
83	श्री सांवल राम	आवासीय अभियन्ता खण्ड–बाडमेर	rejaisalmer.rhb@rajasthan.gov.in
कोटा वृत्त			
84	श्री मनमोहन सिंह (अति. प्रभार)	उप आवासन आयुक्त	dhckota.rhb@rajasthan.gov.in
85	श्रीमती लवली राय	तकनीकी सहायक, उप आवासन आयुक्त	ta2dhckota.rhb@rajasthan.gov.in
86	श्री मनमोहन सिंह	आवासीय अभियन्ता–कोटा	rekota.rhb@rajasthan.gov.in
87	श्री मनमोहन सिंह (अति. प्रभार)	आवासीय अभियन्ता–बारां	rebaran.rhb@rajasthan.gov.in
उदयपुर वृत्त			
88	श्री जी.एस.भाटी (अति. प्रभार)	उप आवासन आयुक्त	dhcudpr.rhb@rajasthan.gov.in
89	श्री	तकनीकी सहायक, उप आवासन आयुक्त	ta2dhcudpr.rhb@rajasthan.gov.in
90	श्री जी.एस.भाटी	आवासीय अभियन्ता खण्ड–प्रथम	reudpr1.rhb@rajasthan.gov.in
91	श्री जी.एस. भाटी	आवासीय अभियन्ता खण्ड–द्वितीय	reudpr2.rhb@rajasthan.gov.in
92	श्री संजय खरे (अति. प्रभार)	आवासीय अभियन्ता खण्ड–भीलवाड़ा	rebhilwara.rhb@rajasthan.gov.in
93	श्री अरविन्द माथुर (अति. प्रभार)	आवासीय अभियन्ता खण्ड–चित्तौड़गढ	rechittorgarh.rhb@rajasthan.gov.in
94	श्री एल.एस.भामौर (अति. प्रभार)	आवासीय अभियन्ता खण्ड–डूंगरपुर	redungarpur.rhb@rajasthan.gov.in

तालिका VIII

राज्य सरकार की जिला स्तरीय बैठकों, सूचनाओं एवं विडियो कान्फ्रेसिंग हेतु आवासन मण्डल के नोडल अधिकारियों की सूची

क्र. सं.	जिला	नोडल अधिकारी का नाम पद नाम, पदस्थापन एवं मोबाईल नम्बर				कार्यालय का पता एवं दूरभाष नं.	
		नाम	पद नाम	पदस्थापन	मोबाइल नम्बर	कार्यालय का पता	दूरभाष नम्बर
1	**अजमेर**	श्री पी.एम.डीगंरवाल	आवासीय अभियन्ता	खण्ड–अजमेर	99826–82717	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड–अजमेर वैशाली नगर, अजमेर	141–2641894
2	**अलवर**	श्री जय शिवराम महावर	आवासीय अभियन्ता	वृत्त –अलवर	99839–93932	वृत्त कार्यालय उप आवासन आयुक्त,मनु मार्ग, बस स्टैण्ड के पास प्रताप नगर कॉलोनी सीईबी, अलवर	0144–2332612
3	**बांसवाड़ा**	श्री एल.एस.भामौर	आवासीय अभियन्ता	खण्ड–डूंगरपुर	94130–18603	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड–डूंगरपुर शिवाजी नगर, डूंगरपुर	02964–232288
4	**बारां**	श्री एम.एम.सिंह	आवासीय अभियन्ता	खण्ड–बारां	98281–09475	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड–बारां वन विभाग के सामने बारां	
5	**बाड़मेर**	श्री सांवल राम	आवासीय अभियन्ता	खण्ड–बाडमेर	99826–09494	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड–जैसलमेर जेठवाई रोड़ किशन घाट, जैसलमेर	02992–254820
6	**भरतपुर**	श्री रामेश्वर चौधरी	आवासीय अभियन्ता	खण्ड–भरतपुर	99826–34555	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड–भरतपुर, 2–ए–1, एसटीडी कॉलानी, भरतपुर	05644–223672
7	**भीलवाड़ा**	श्री संजय खरे	आवासीय अभियन्ता	खण्ड–भीलवाड़ा	97722–14522	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड–भीलवाड़ा, आर.के कॉलोनी, भीलवाड़ा	01462–220312
8	**बीकानेर**	श्री आर.सी.मेघवाल	उप आवासन आयुक्त	वृत बीकानेर	99833–49405	वृत्त कार्यालय उप आवासन आयुक्त, सैक्टर–4 मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर	0151–2226971
9	**बूंदी**	श्री एम. एम. सिंह	आवासीय अभियन्ता	खण्ड–कोटा	98281–09478	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड–काटा नगर विकास न्सास के पीछे,सी.एडी, सर्किल, कोटा	0744–2500911

10	**चित्तौड़गढ़**	श्री अरविन्द माथुर	आवासीय अभियन्ता	खण्ड–चित्तौड़गढ	99839–93913	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड–चित्तौड़गढ 1–बी–48–49, सन्ती सागवा, चित्तौड़गढ	01472–241163
11	**चुरू**	श्री हाकम चन्द पंवार	आवासीय अभियन्ता	खण्ड–झुंझुनू	99833–09405	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड–झुंझुनू, 2/3–4 पुरानी कॉलोनी, चुरू रोड़, झुंझुनू	01592–232319
12	**दौसा**	श्री अनिल सक्सैना	आवासीय अभियन्ता	खण्ड–दौसा	98285–54074	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड–दौसा 1/68 खानभाकरी रोड़, दौसा	01427–223875
13	**धौलपुर**	श्री रामेश्वर चौधरी	आवासीय अभियन्ता	खण्ड–भरतपुर	99826–34555	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड–भरतपुर, 2–ए–1, एसटीडी कॉलानी, भरतपुर	05644–223672
14	**डूंगरपुर**	श्री एल.एस.भामौर	आवासीय अभियन्ता	खण्ड–डूंगरपुर	94130–18603	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड–डूंगरपुर शिवाजी नगर, डूंगरपुर	02964–232288
15	**हनुमानगढ़**	श्री टी. सी. सेवटा	आवासीय अभियन्ता	खण्ड–हनुमानगढ़	98281–09465	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड–हनुमानगढ, 9/58–59, हनुमानगढ	01552–244318
16	**जयपुर**	श्री आर.सी.जैन	उप आवासन आयुक्त	वृत्त– प्रथम,जयपुर	98281–27727	वृत्त कार्यालय उप आवासन आयुक्त, सैक्टर–5 प्रताप प्लॉजा, टांक रोड़, जयपुर	0141–29791320
17	**जैसलमेर**	श्री सांवल राम	आवासीय अभियन्ता	खण्ड–बाडमेर	99826–09494	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड–जैसलमेर जेठवाई रोड़ किशन घाट, जैसलमेर	02992–254820
18	**जालौर**	आवासन मण्डल की गतिविधियां संचालित नहीं है।					
19	**झालवाड़**	श्री एम. एम. सिंह	आवासीय अभियन्ता	खण्ड–कोटा	98281–09478	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड–कोटा नगर विकास न्सास के पीछे,सी.एडी, सर्किल, कोटा	0744–2500911
20	**झुंझुनू**	श्री हाकम चन्द पंवार	आवासीय अभियन्ता	खण्ड–झुंझुनू	99833–09405	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड–झुंझुनू, 2/3–4 पुरानी कॉलोनी, चुरू रोड़, झुंझुनू	01592–232319
21	**जोधपुर**	श्री के.एस.चौधरी	उप आवासन आयुक्त	वृत्त–जोधपुर प्रथम	98281–09429	वृत्त कार्यालय उप आवासन आयुक्त, सैक्टर–11, चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड, जोधपुर	0291–2700874

22	**करौली**	आवासन मण्डल की गतिविधियां संचालित नहीं है।					
23	**कोटा**	श्री एम. एम. सिंह	उप आवासन आयुक्त	वृत्त कोटा	98281—09478	वृत्त कार्यालय उप आवासन आयुक्त, नगर विकास न्सास के पीछे,सी.एडी, सर्किल, कोटा	0744—2500721
24	**नागौर**	श्री श्रवण कुमार	आवासीय अभियन्ता	खण्ड—नागौर	97838—10109	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड—द्वितीय बीकानेर मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर	0151—2226973
25	**पाली**	श्री आर.एस.भाटी	आवासीय अभियन्ता	खण्ड—पाली	99836—51500	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड—पाली, जोधपुर रोड़, पाली	02932—256371
26	**प्रतापगढ़**	श्री अरविन्द माथुर	आवासीय अभियन्ता	खण्ड—चित्तौड़गढ	99839—93913	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड—चित्तौड़गढ 1—बी—48—49, सन्ती सागवा, चित्तौड़गढ	01472—241163
27	**राजसमन्द**	श्री अरविन्द माथुर	आवासीय अभियन्ता	खण्ड—चित्तौड़गढ	99839—93913	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड—द्वितीय उदयपुर सैक्टर—11 हिरण मगरी, उदयपुर	0294—2583108
28	**सवाई माधोपुर**	श्री अनिल सक्सैना	आवासीय अभियन्ता	खण्ड—दौसा	98285—54074	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड—दौसा 1/68 खानभाकरी रोड़, दौसा	01427—223875
29	**सीकर**	श्री हाकम चन्द पंवार	आवासीय अभियन्ता	खण्ड—झुंझुनू	99833—09405	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड—झुंझुनू 2/3—4 पुरानी कॉलोनी, चुरू रोड़, झुंझुनू	01592—232319
30	**सिरोही**	श्री आर.एस.भाटी	आवासीय अभियन्ता	खण्ड—पाली	99836—51500	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड—पाली, जोधपुर रोड़, पाली	02932—256371
31	**श्रीगंगानगर**	श्री टी. सी. सेवटा	आवासीय अभियन्ता	खण्ड—हनुमानगढ़	98281—09465	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड—हनुमानगढ, 9/58—59, हनुमानगढ	01552—244318
32	**टोंक**	श्री के.एल.निनाणिया	आवासीय अभियन्ता	खण्ड—जयपुर तेरह	98281—03904	कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड—XIII सैक्टर—4 इंदिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर	0141—2174831
33	**उदयपुर**	श्री जी.एस.भाटी	उप आवासन आयुक्त	वृत्त—उदयपुर	99839—93914	वृत्त कार्यालय उप आवासन आयुक्त, सेक्टर—11 सलूम्बर सर्किल, हिरण मगरी, उदयपुर	0294—2583327

तालिका IX
प्रशासनिक ढांचा

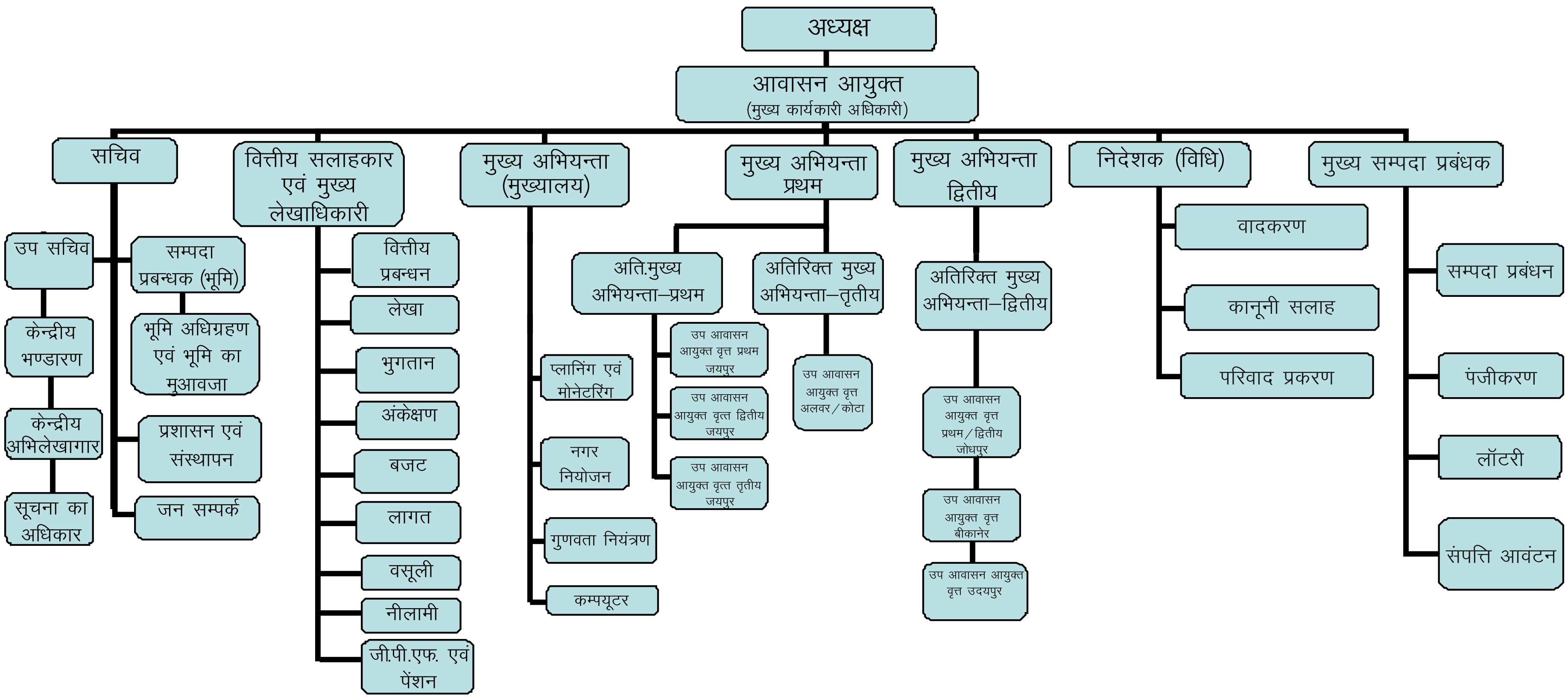

क्षेत्रीय इकाई ढ़ांचा

राजस्थान में मण्डल का कार्य क्षेत्र 9 वृत्त एवं 37 खण्ड कार्यालयों में विभाजित किया हुआ है। जिनका पर्यवेक्षण तीन मुख्य अभियन्ताओं के अध्यधीन व तीन अतिरिक्त मुख्य अभियन्ताओं द्वारा किया जाता है।

तालिका X
अध्यक्ष एवं आवासन आयुक्त की पदस्थापना सूची

'अध्यक्ष'				'आवासन आयुक्त'			
	नाम	कब से	कब तक		नाम	कब से	कब तक
श्री	डी.डी. पुरोहित	24-Feb-1970	31-Mar-1978	श्री	के.के. सरीन	4-Jul-1970	22-Aug-1975
श्री	जी.आर. हुकमानी	1-Apr-1978	6-Mar-1980	श्री	जे.एम. मल्होत्रा	23-Aug-1975	22-Dec-1976
श्री	के.एस. रस्तोगी (आइ.ए.एस.)	7-Mar-1980	27-Mar-1980	श्री	के.सी. मित्तल	22-Dec-1976	30-Jun-1978
श्री	आर.के. शास्त्री (आइ.ए.एस.)	28-Mar-1980	5-Jan-1981	श्री	आर.सी. पंचारिया	1-Jul-1978	15-Dec-1978
श्री	आई.जी. झिंगरन (आइ.ए.एस.)	6-Jan-1981	12-Mar-1981	श्री	अखयराज	16-Dec-1978	5-Jun-1979
श्री	ए.एल. रूंगटा (आइ.ए.एस.)	13-Mar-1981	1-May-1981	श्री	जे.एम. मल्होत्रा	5-Jun-1979	15-Sep-1979
श्री	मायाराम (आइ.ए.एस.)	2-May-1981	9-Jun-1981	श्री	आर. सी. पंचारिया	15-Sep-1979	29-Oct-1979
श्री	बी.डी. कल्ला	10-Jun-1981	4-Aug-1981	श्री	अखयराज	29-Oct-1979	20-Jan-1981
श्री	सतीश कुमार (आइ.ए.एस.)	29-Aug-1981	2-Aug-1982	श्री	एल.बी. बक्सी	21-Jan-1981	12-Aug-1981
श्री	रामनारायण चौधरी	3-Aug-1982	28-Nov-1983	श्री	अखयराज	16-Aug-1981	3-Aug-1983
श्री	के.के. सक्सेना (आइ.ए.एस.)	28-Nov-1983	2-Aug-1985	श्री	पी.के. लौरिया	3-Aug-1983	27-Sep-1986
श्री	(डॉ) आदर्श किशोर (आइ.ए.एस.)	3-Jun-1985	28-May-1987	श्री	अखयराज	27-Sep-1986	21-Nov-1988
श्री	पी.वी. माथुर (आइ.ए.एस.)	29-May-1987	8-Jul-1987	श्री	आर.एस. कुंभट (आइ.ए.एस.)	21-Nov-1988	6-Sep-1989
श्री	एम.एल. मेहता (आइ.ए.एस.)	8-Jul-1987	15-Sep-1988	श्री	पी.के. लौरिया	13-Sep-1989	1-Jan-1990
श्री	श्रीराम गोटेवाला	15-Jun-1988	6-Mar-1990	श्री	एस. के. मुखर्जी	1-Jan-1990	31-Dec-1990
श्री	पी.एन. भण्डारी (आइ.ए.एस.)	6-Mar-1990	8-Apr-1990	श्री	एस.एल. जोशी	1-Jan-1991	31-Aug-1992
श्री	चन्द्रप्रकाश (आइ.ए.एस.)	9-Apr-1990	2-Jul-1991	श्री	बी.जी. शर्मा	15-Jan-1993	2-Mar-1994
श्री	एस. अहमद (आइ.ए.एस.)	2-Jul-1991	6-Jun-1994	श्री	अब्दुल मतीन	1-Jul-1994	28-Aug-1995
श्री	एन.के. वर्मा (आइ.ए.एस.)	6-Jun-1994	21-Jul-1995	श्री	एन.एन नरहरि	29-Aug-1995	13-Dec-1996
श्री	एस.एन. गुप्ता	24-Jul-1995	30-Nov-1998	श्री	मनोहर लाल (आइ.ए.एस.)	14-Dec-1996	26-Sep-1998
श्री	रवि माथुर (आइ.ए.एस.)	11-Dec-1998	26-Feb-1999	श्री	ओ.पी. मीणा (आइ.ए.एस.)	26-Sep-1998	13-Apr-1999
श्री	मानसिंह देवड़ा	27-Feb-1999	1-Dec-2003	श्री	प्रीतम सिंह (आइ.ए.एस.)	13-Apr-1999	3-Mar-2000
श्री	अशोक सम्पतराम (आइ.ए.एस.)	18-Dec-2003	6-Jun-2004	श्री	विनोद जुत्शी (आइ.ए.एस.)	3-Mar-2000	13-Nov-2000
श्री	बी.पी. आर्य (आइ.ए.एस.)	7-Jun-2004	16-Jul-2004	श्री	दामोदर शर्मा (आइ.ए.एस.)	13-Nov-2000	17-May-2001
श्रीमती	ऊषा शर्मा (आइ.ए.एस.)	17-Jul-2004	24-Jun-2005	श्री	बी.एल. आर्य (आइ.ए.एस.)	17-May-2001	15-Jan-2002
श्री	बी.पी. आर्य (आइ.ए.एस.)	27-Jun-2005	15-Jul-2005	श्री	एम.के. खन्ना (आइ.ए.एस.)	15-Jan-2002	9-Aug-2002
श्री	परमेश चन्द्र (आइ.ए.एस.)	16-Jul-2005	31-Jul-2005	श्री	अतुल शर्मा (आइ.ए.एस.)	13-Aug-2002	31-May-2003
श्री	(डॉ) ललित के. पंवार (आइ.ए.एस.)	1-Aug-2005	20-Jan-2006	श्री	कुलदीप शर्मा (आइ.ए.एस.)	31-May-2003	15-Jun-2005
श्री	अजयपाल सिंह	21-Jan-2006	20-Dec-2008	श्री	नरहरि शर्मा (आइ.ए.एस.)	21-Jun-2005	17-Sep-2005
श्रीमती	आर.आर. हल्दिया (आइ.ए.एस.)	22-Dec-2008	16-Oct-2009	श्री	ए.के. हेमकार (आइ.ए.एस.)	17-Sep-2005	9-May-2006
श्री	अशोक सम्पतराम (आइ.ए.एस.)	17-Oct-2009	28-Oct-2009	श्री	सोहन लाल (आइ.ए.एस.)	9-May-2006	7-Apr-2007
श्री	ललित कोठारी (आइ.ए.एस)	29-Oct-2009	21-Nov-2011	श्री	सी.एम. मीणा (आइ.ए.एस.)	7-Apr-2007	18-Feb-2008
श्री	परसराम मोरदिया	21-Nov-2011	16-Dec-2013	श्री	अजय सिंह (आर.ए.एस.)	18-Feb-2008	30-Jul-2008
श्री	जी.एस. सन्धु (आइ.ए.एस)	19-Dec-2013	23-Dec-2013	श्री	तपेन्द्र कुमार (आइ.ए.एस.)	30-Jul-2008	18-Jun-2009
श्री	डी.बी गुप्ता (आइ.ए.एस)	23-Dec-2013	7-Jun-2014	श्री	अशीष बहुगुणा (आइ.ए.एस.)	18-Jun-2009	24-Aug-2009
श्री	अशोक जैन (आइ.ए.एस)	7-Jun-2014	5-Feb-2016	श्री	पवन गोयल (आइ.ए.एस.)	24/Aug./2009	09/May/2012
श्री	ओ.पी.मीणा (आइ.ए.एस.)	5-Feb-2016	1-Jul-2016	श्री	टी. रविकान्त (आइ.ए.एस.)	10/May./2012	28/Sept 2012
श्री	ए.मुखोपाध्याय (आइ.ए.एस.)	1-Jul-2016	5-May-2017	श्री	नीरज के. पवन (आइ.ए.एस.)	01/Oct./2012	19/Feb 2012
श्री	उमेश कुमार (आइ.ए.एस.)	10-May-2017	6-Oct-2017	श्री	आर. वेकंटेश्वरन (आइ.ए.एस.)	19/Feb 2012	12-Feb-2014
श्री	श्रीचन्द कृपलानी	16-Oct-2017	13.11.18	श्री	आनन्द कुमार (आइ.ए.एस.)	12-Feb-2014	24-Jun-2015
श्री	डी.बी गुप्ता (आइ.ए.एस)	13-11-18	लगातार	श्री	ओम प्रकाश सैनी (आइ.ए.एस.)	24-Jun-2015	5-Feb-2016
				श्री	ओ.पी.मीणा (आइ.ए.एस.)	5-Feb-2016	1-Jul-2016
				श्री	ए.मुखोपाध्याय (आइ.ए.एस.)	1-Jul-2016	5-May-2017
				श्री	डा0 के.बी.गुप्ता (आइ.ए.एस.)	10-May-2017	28/2/2018
				श्री	श्री पी.बी. यशवन्त (आइ.ए.एस.)	28/2/2018	7-May-2018
				श्री	रोहित गुप्ता (आइ.ए.एस.)	7-May-2018	8-Jul-2018
				श्री	पी.बी. यशवन्त (आइ.ए.एस.)	16-Jul-2018	28-Dec-2018
				श्री	डॉ. रवि कुमार सुरपुर (आइ.ए.एस.)	28-Dec-2018	लगातार

राजस्थान आवासन मण्डल का नेटवर्क:

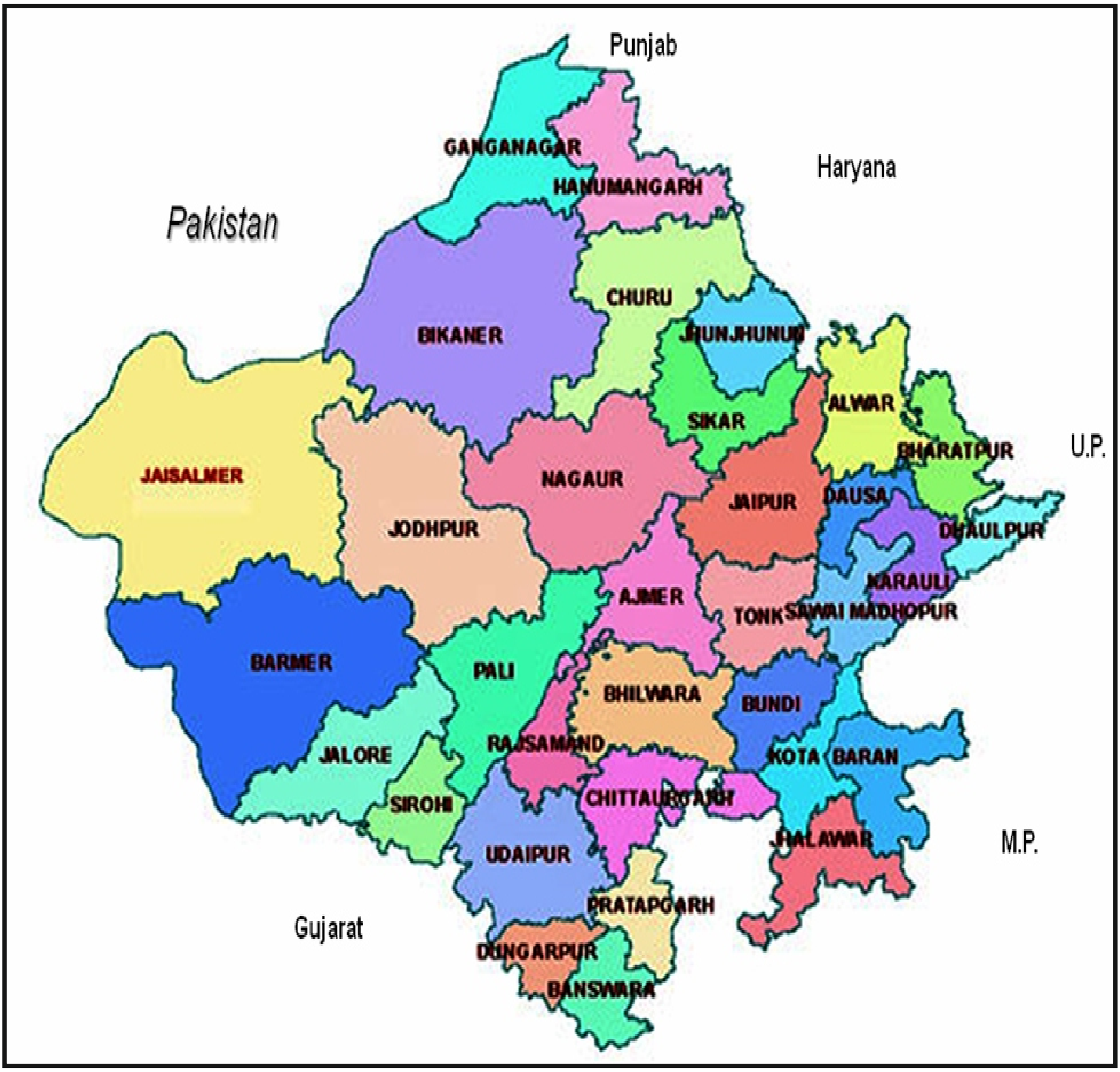

बोर्ड की योजनाऐं जालौर एवं करौली जिला मुख्यालय को छोड़कर बाकी सभी जिला मुख्यालयों सहित 65 शहरों/कस्बों में विस्तारित है।

:: मण्डल का है यह सपना :: सुंदर घर हो सबका अपना ::

महाराणा प्रताप सर्किल, प्रताप नगर, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल

'आवास भवन', जन पथ, ज्योति नगर, जयपुर – 302005 राजस्थान (भारत)
(ईपीएबीएक्स – 0141 2740812, 2740113, 2740614: फैक्स – 0141 2740175)
(website : urban.rajasthan.gov.in/rhb ; e-mail ID : info.rhb@rajasthan.gov.in)